परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था
ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY
(भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय)
(An Autonomous Body under Department of Atomic Energy, Govt. of India)
केन्द्रीय कार्यालय, प.ऊ.कें.वि.-6, पश्चिमी क्षेत्र, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.
Central Office, AECS-6, Western Sector, Anushaktinagar, Mumbai-400094.
वेबसाइट / website : aees.gov.in / ईमेल आईडी/email id : pers-conf@aees.gov.in

RECRUITMENT NOTIFICATION 01/2026

Atomic Energy Education Society (AEES) is an aided institution under the Department of Atomic Energy, Government of India. It has its Headquarters in Mumbai and runs 30 Schools spread across 15 centres located at Anushaktinagar (Mumbai, Maharashtra), Tarapur (Maharashtra), Kaiga (Karnataka), Kudankulam (Tamil Nadu), Kalpakkam/ Anupuram (Tamil Nadu), Mysuru (Karnataka), Hyderabad (Telangana), OSCOM (Odisha), Jaduguda/ Narwapahar/ Turamdih (Jharkhand), Manuguru (Telangana), Narora (Uttar Pradesh), Rawatbhata (Rajasthan), Indore (Madhya Pradesh), Kakrapar (Gujarat) and Pazhayakayal (Tamil Nadu). AEES institutions are co-educational schools offering quality education from Balvatika to Class XII, with English as the medium of instruction. The schools focus on the holistic and value-based development of students in accordance with the curriculum prescribed by the Central Board of Secondary Education.

Atomic Energy Education Society invites online applications from eligible Indian citizens for direct recruitment to various teaching posts in its institutions. Candidates are advised to visit only the Online Application Portal of AEES (https://aees.onlineregistrationforms.com) for authentic information related to this recruitment.

The selected candidates may be posted anywhere in India on initial posting on selection and any request for change of station/region will not be entertained under any circumstances whatsoever.

1. Details of Post wise & Category wise break up of number of tentative vacancies in AEES: (Vacancies are tentative and may increase or decrease):

Sl. No.	Post	Group	Subject	No. of vacancies										Pay Level in Pay Matrix
				Category					Total	PwBD				
				SC	ST	OBC (NCL)	EWS	UR		LD	VI	HI	Others	
1	Principal	A	-	0	0	1	1	2	4					Level 12
2	Vice-Principal	A	-	0	0	0	0	1	1					Level 10
3	Post Graduate Teacher (PGT)	B	English	1	1	0	0	2	4	1				Level 8
4			Mathematics	1	1	0	0	2	4					
5			Biology	0	0	1	0	1	2					
6			Chemistry	0	0	1	0	2	3					
7			Physics	1	0	0	0	1	2	1				
8			Computer Science	0	1	0	0	2	3					
9			Commerce	0	1	2	0	3	6					
10			Economics	0	0	0	1	1	2					
11			History	0	0	0	0	1	1					
12	Trained Graduate Teacher	B	English	3	2	2	1	6	14					
13			Social Studies	1	0	5	1	4	11	1				

14	(TGT)		Hindi-Sanskrit	0	0	1	1	7	9					Level 7
15			Mathematics-Physics	6	0	5	2	9	22	1				
16			Chemistry-Biology	3	0	2	2	6	13	1				
17			Computer Science	0	1	2	1	9	13	1				
18			P&HE (Male)	0	0	1	1	5	7					
19			P&HE (Female)	0	0	1	1	3	5					
20			Art Education	0	0	1	1	5	7				2	
21			Marathi	0	0	0	0	1	1					
22	Librarian		-	1	1	2	2	7	13			1		
23	Primary Teacher (PRT)	B	-	15	5	38	8	23	89	2				Level 6
24	Primary Teacher (PRT)		Music	0	0	2	1	7	10					
25	Balvatika Teacher		-	1	3	1	1	2	8	1				
			Total	**33**	**16**	**68**	**25**	**112**	**254**	**9**	**0**	**1**	**2**	

The candidates appointed against PwBD quota will be adjusted against the vacancy of respective reservation for SC/ST/OBC/EWS/UR.

Abbreviation used:

P&HE: Physical & Health Education, SC: Scheduled Caste, ST: Scheduled Tribe, OBC: Other Backward Classes, NCL: Non-Creamy Layer, UR: Unreserved, EWS: Economically Weaker Section, PwBD: Person with Benchmark Disabilities, LD: Locomotor Disability, VI: Visually Impaired, HI: Hearing Impaired.

Note: Reservation for the Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) has been ensured in accordance with the provisions of Rights of Persons with Disabilities Act 2016 & the DEPwD notification no. 38-16/2020-DD-III dated 04th January 2021 and instructions issued by Govt. of India from time to time in this regard. Nature of disabilities identified as suitable for the post(s) for which horizontal reservation has been earmarked for PwBD candidates is mentioned below:

Sl. No.	Post	Functional Requirements	Suitable categories of Benchmark Disabilities				
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
			Visually Impaired (VI)	Hearing Impaired (HI)	Locomotor Disability (LD)	Others	
						Autism, Intellectual Disability (IT), Specific Learning Disability (SLD) and Mental Illness (MI)	Multiple Disabilities (MD)
1	Principal	S, ST, W, BN, CL, MF, RW, SE, H, C	-	D, HH	OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV, SD, SI	SLD, MI	MD Involving (b) to (d)
2	Vice-Principal	S, ST, W, BN, CL, MF, RW, SE, H, C	-	D, HH	OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV, SD, SI	SLD, MI	MD Involving (b) to (d)
3	Post Graduate Teacher (English, Mathematics, Biology, Chemistry,	S, ST, W, BN, CL, MF, RW, SE, H, C	-	D, HH	OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV, SD, SI	ASD (M), SLD, MI	MD Involving (b) to (d)

	Physics, Computer Science, Commerce, Economics, History)						
4	Trained Graduate Teacher (English, Social Studies, Hindi-Sanskrit, Mathematics-Physics, Chemistry-Biology, Computer Science, Marathi)	S, ST, W, BN, CL, MF, RW, SE, H, C	-	D, HH	OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV, SD, SI	ASD (M), SLD, MI	MD Involving (b) to (d)
5	Trained Graduate Teacher [Physical & Health Education (Male/Female)]	S, ST, W, BN, L, KC, JU, CRL, CL, PP, MF, RW, SE, H	-	D, HH	LC, Dw, AAV, SD, SI	ASD (M), SLD, MI	MD Involving (b) to (d)
6	Trained Graduate Teacher (Art Education)	S, ST, W, BN, L, CL, MF, RW, SE, H, C	LV	D, HH	OA, OL, OAL, Dw, AAV, SD, SI	ASD (M), ID, SLD, MI	MD Involving (a) to (d)
7	Librarian	S, ST, W, KC, CL, MF, RW, SE, H, C	-	D, HH	OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV, SD, SI	ASD (M), SLD, MI	MD Involving (b) to (d)
8	Primary Teacher	S, ST, W, BN, L, KC, JU, CRL, CL, RW, SE, H, C	-	HH	OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV, SD, SI	ASD (M), SLD, MI	MD Involving (b) to (d)
9	Primary Teacher (Music)	S, ST, W, BN, CL, MF, RW, H, C	B, LV	-	OL, Dw, AAV, SD, SI	SLD, MI	MD Involving (a), (c) and (d)
10	Balvatika Teacher	S, ST, W, BN, L, KC, JU, CRL, CL, RW, SE, H, C	-	HH	OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV, SD, SI	ASD (M), SLD, MI	MD Involving (b) to (d)

Abbreviations Used (Functional Requirement): S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication

Category Abbreviations Used: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, OA=One Arm, OL=One Leg, OAL=One Arm and One Leg, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild), SD= Spinal Deformity, SI= Spinal Injury, ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities

Important instruction:

A. Functional Requirements for Posts - Compliance by PwBD Candidates: In accordance with the guidelines issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, it is hereby notified that candidates falling under the Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) category must ensure compliance with the functional requirements prescribed for the post(s) for which they intend to apply.

B. Verification of Functional Requirements: It shall be the responsibility of the PwBD candidates to confirm that they meet the functional requirements for the specific post(s) prior to applying.

C. Certification Requirement: Candidates who are shortlisted for the Final Stage of Skill Test/Interview, document verification shall be required to mandatorily produce a certificate issued by an appropriate Medical Authority. This certificate must substantiate that the candidate fulfils the functional requirements stipulated for the post(s) applied for.

D. Consequence of Non-compliance: Failure to adhere to the aforementioned requirements may render the candidate ineligible for the post(s) concerned, without prejudice to any other condition of eligibility or selection criteria.

2. Essential and Desirable Qualifications and Pay Scale with level for all the Posts:

Details regarding essential and desirable qualifications for various categories of posts, Pay Scales with Level, Age limit, Relaxation of age, Mode of Selection and other related details are given below.

A. FOR PRINCIPAL

PAY SCALE: Level -12 (Rs.78800-209200) in the Pay Matrix

AGE LIMIT: Minimum 35 years and Maximum 50 years.

ESSENTIAL QUALIFICATIONS:

(i) Master's Degree with at least 50% marks from recognized Institution/University.

(ii) Bachelor Degree in Education (B.Ed.) with at-least 50% marks from NCTE Recognized Institution/University.

OR

Three-year integrated B.Ed.-M.Ed. from NCTE recognized Institution/University with at least 50% marks

OR

Four years Integrated degree with at least 50% marks from NCTE recognized Institution/University including B.Ed. component (50% marks).

(iii) Working as Principal in Pay Level 12 (₹ 78800 to ₹ 209200) in Central/ State Govt./ Autonomous organizations of Central/ State Govt.;

OR

Working as Vice-Principal for 3 years in the Pay Level 10 (₹ 56100 to ₹ 177500) in Central/ State Govt./ Autonomous organizations of Central/ State Govt.

OR

12 years' regular service as PGT/Lecturer in the Pay Level 8 (₹ 47600 to ₹ 151100) in Central/ State Govt./ Autonomous organizations of Central/ State Govt.

OR

Combined service of 12 years as PGT (Entry Level 8 as per 7th CPC) and Vice-Principal (Entry Level 10 as per 7th CPC) in the grade in Central/ State Govt./ Autonomous organizations of Central/ State Govt.;

(iv) Knowledge of Computer Applications.

Desirable

(i) Working knowledge of English and Hindi/Bhartiya Bhasha.

B. FOR VICE PRINCIPAL

PAY SCALE: LEVEL – 10 (Rs.56100-177500) in the Pay Matrix

AGE LIMIT: Minimum – 35 years and Maximum - 45 years

ESSENTIAL QUALIFICATIONS:

(i) Master Degree with at least 50% marks in aggregate from a recognized University.

(ii) Bachelor Degree in Education (B.Ed.) with at least 50% marks from NCTE Recognized Institute/University

OR

Three-year integrated B.Ed.-M.Ed with at least 50% marks from any NCTE recognized Institute/University

OR

Four years Integrated degree with at least 50% marks from NCTE recognized Institution including B.Ed. component (50% marks).

(iii) Working as Vice Principal in Central/ State Govt./Autonomous organizations of Central/ State Govt. in the Pay Level 10 (₹ 56100 to ₹ 177500)

OR

Working as PGT or Lecturer in Central/ State Govt./Autonomous organizations of Central/ State Govt. in the Pay Level 8 (₹ 47600 to ₹ 151100) for at least 06 years

(iv) Knowledge of Computer Applications.

Desirable:

(i) Working knowledge of English and Hindi/Bhartiya Bhasha.

C. FOR POST GRADUATE TEACHERS

PAY SCALE: Level-8 (Rs.47600-151100) in the Pay Matrix

UPPER AGE LIMIT: Not exceeding 40 years

ESSENTIAL QUALIFICATION:

(a) Integrated Post Graduate Course from NCTE recognized Institution/University, in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate including B. Ed. Component.

OR

Master Degree from a recognized Institution/University with at least 50% marks in aggregate in the concerned subject

AND

(b) B.Ed. Degree from NCTE recognized Institution/ University with at least 50% marks

OR

Three years integrated B.Ed. -M.Ed. from NCTE recognized Institution/University with at least 50% marks

OR

Four years Integrated degree with at least 50% marks from NCTE recognized Institution/University including B.Ed. component.

Details of subjects in Master Degree according to post of PGT are as under:

Sl. No.	Post	Master's Degree in the Subject
(i)	PGT (English)	English
(ii)	PGT (Mathematics)	In concerned subject or any specialization in concerned subject. Provided the candidate has studied concerned subject at Graduation level also
(iii)	PGT (Biology)	In Biological Science/Life Science or any specialization in concerned subject. Provided the candidate has studied concerned subject at Graduation level also
(iv)	PGT (Chemistry)	In concerned subject or any specialization in concerned subject. Provided the candidate has studied concerned subject at Graduation level also
(v)	PGT (Physics)	In concerned subject or any specialization in concerned subject. Provided the candidate has studied concerned subject at Graduation level also
(vi)	PGT (Commerce)	Master's Degree in Commerce. Holders of Degree of M.Com. in Applied/Business Economics shall not be eligible.
(vii)	PGT (Economics)	In concerned subject or any specialization in concerned subject. Provided the candidate has studied concerned subject at Graduation level also
(viii)	PGT (History)	In concerned subject or any specialization in concerned subject. Provided the candidate has studied concerned subject at Graduation level also

Desirable Qualifications:

(a) Experience as TGT in the recognized institutions in concerned subject.

(b) Experience of working in a school.

(c) Knowledge of Computer application.

(d) Working knowledge of English and Hindi/Bhartiya Bhasha.

D. FOR POST GRADUATE TEACHERS (Computer Science):

PAY SCALE: Level-8 (Rs.47600-151100) in the Pay Matrix

UPPER AGE LIMIT: Not exceeding 40 years

ESSENTIAL QUALIFICATION:

(i) M.Sc. (Computer Science/ IT)/ MCA from recognized Institution/University with at least 50% marks.

OR

M.E. or MTech. (Computer Science / IT) from recognized Institution/University with at least 50% marks.

AND

(ii) B.Ed. Degree from NCTE recognized Institution/ University with at least 50% marks.

OR

Three years integrated B.Ed. - M.Ed. from NCTE recognized Institution / University with at least 50% marks.

OR

Four years Integrated Degree with atleast 50% marks from NCTE recognized Institution / University including B.Ed. Component.

DESIRABLE QUALIFICATIONS:

(a) Experience as TGT in the recognized institutions in concerned subject.

(b) Experience of working in a school.

(c) Working knowledge of English and Hindi/Bhartiya Bhasha.

E. FOR TRAINED GRADUATE TEACHERS – (English), (Hindi-Sanskrit) and (Marathi)

PAY SCALE: Level-7 (Rs.44900-142400) in the Pay Matrix

UPPER AGE LIMIT: Not exceeding 35 years

ESSENTIAL QUALIFICATION –

(A) Four years integrated degree course from NCTE recognized Institution/University with atleast 50% marks in the concerned subject(s) as well as in the aggregate including B.Ed. component.

OR

Bachelor/Honours Degree from a recognized Institution/University with at least 50% marks in concerned subject, combination of subjects as well as in the aggregate

AND

B.Ed. Degree from NCTE recognized Institution/University with at least 50% marks

OR

Three years Integrated B.Ed.-M.Ed. from NCTE recognized Institution/University with atleast 50% marks

OR

**1-year B.Ed. (Special Education) from Rehabilitation Council of India (RCI) with atleast 50% marks

OR

Post-Graduation in concerned subject/any specialization in concerned subject with a minimum 55% marks or equivalent grade provided that the candidate has studied the subject(s) mentioned in the note below at the graduation level and three years integrated B.Ed.-M.Ed. from NCTE recognized institution/University with at least 50% marks.

(B) Qualified in the Central Teacher Eligibility Test (Paper-II) conducted by Central Board of Secondary Education (CBSE).

****Training to be undergone –** A person with B.Ed. (Special Education) qualifications shall undergo, after appointment, an NCTE recognition 6-month Special Programme in Elementary Education.

Post wise languages are as under:

Sr. No.	Post	Qualification
1	TGT (English)	Studied English as an Elective/Main subject in at least 03 years/ 06 semester of the course.
2	TGT (Hindi-Sanskrit)	Studied Hindi/Sanskrit as an Elective/Main subject in at least 03 years /06 semester of the course.
3	TGT (Marathi)	Studied Marathi as an Elective/Main subject in at least 03 years/ 06 semester of the course.

Desirable Qualification:

(1) Experience of working in a school.

(2) Knowledge of Computer applications.

(3) Working knowledge of English and Hindi/Bhartiya Bhasha.

F. FOR TRAINED GRADUATE TEACHERS – (Mathematics-Physics), (Chemistry-Biology) and (Social Studies):

PAY SCALE: Level-7 (Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix

UPPER AGE LIMIT: Not exceeding 35 years

ESSENTIAL QUALIFICATION –

(A) Four years integrated degree course from NCTE recognized Institution/University with at least 50% marks in the concerned subject as well as in the aggregate including B. Ed. component.

OR

Bachelors/ Honours Degree from a recognized Institution/University with at least 50% marks in concerned subject, combination of subjects and also in aggregate

AND

B.Ed. Degree from NCTE recognized Institution/ University with at least 50% marks.

OR

Three years integrated B.Ed. - M.Ed. from NCTE recognized Institution/ University with at least 50% marks.

OR

**One year B.Ed. (Special Education) from Rehabilitation Council of India (RCI) with at least 50% marks.

OR

Post-Graduation in concerned subject/any specialization in concerned subject with a minimum 55% marks or equivalent grade provided that the candidate has studied the subject(s) mentioned in the note below at the graduation level and three years integrated B.Ed.-M.Ed. from NCTE recognized institution/ University with at least 50% marks.

(B) Qualified in the Central Teacher Eligibility Test (Paper-II) conducted by Central Board of Secondary Education (CBSE).

****Training to be undergone –** A person with B.Ed. (Special Education) qualifications shall undergo, after appointment, an NCTE recognition 6-month Special Programme in Elementary Education.

Note: Post wise elective subjects in the combination of subjects are as under:

1	TGT (Mathematics-Physics)	(i) The candidates should have studied: • Mathematics as Elective / Main subject in at least 03 years/ 06 semester of course. • Physics at least 01 year / any 02 semesters of the course • One out of Chemistry, Electronics, Computer Science, Statistics at least 01 year /any 02 semesters of the course. The candidates who studied under Choice Based Credit System (CBCS) with the above subjects are also eligible to apply. (ii) Candidates with B.Sc. (Hons.) in Physics or Chemistry are not eligible for

<table>
<tr><td></td><td></td><td>the post of TGT (Mathematics-Physics).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>TGT (Chemistry-Biology)</td><td>Candidates should have studied Biology/ Life Science/ Botany/ Zoology as Hons/Main Subject in at least 03 years/ 06 semester of course with following combination of subjects for at least one year or any 2 semesters of the course.
<table>
<tr><td>Main Subject</td><td>Subsidiary Subjects</td></tr>
<tr><td>Biology/Life Science</td><td>(i) Chemistry (ii) Botany/ Zoology</td></tr>
<tr><td>Botany</td><td>(i) Chemistry (ii) Zoology</td></tr>
<tr><td>Zoology</td><td>(i) Chemistry (ii) Botany</td></tr>
</table>
The candidates who studied under Choice Based Credit System (CBCS) with the above subject are also eligible to apply.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>TGT (Social Studies)</td><td>Studied any two subjects out of History, Geography, Economics and Political Science during graduation out of which one must be either History or Geography in at least 03 years/ 06 semester of course as an Elective/Main Subject and the second subject for at least one year / any two semesters of the course.
The candidates who studied under Choice Based Credit System (CBCS) with the above subjects are also eligible to apply.</td></tr>
</table>

Desirable Qualification:

(1) Experience of working in a school.

(2) Knowledge of Computer applications.

(3) Working knowledge of English and Hindi/Bhartiya Bhasha.

G. FOR TRAINED GRADUATE TEACHER – (Computer Science):

PAY SCALE: Level-7 (Rs.44900-142400) in the Pay Matrix

UPPER AGE LIMIT: Not exceeding 35 years

ESSENTIAL QUALIFICATION –

(i) B.Sc. (Computer Science) / B.Sc. (IT) / BCA or Equivalent from a recognized Institution/University with at least 50% marks in aggregate by which Degree is awarded by the University or equivalent CGPA (obtained by conversion to percentage in accordance with the method of conversion of corresponding University's/Institution's norms).

OR

B.E. or B.Tech. (Computer Science/IT/Computer Engineering) from a recognized University or equivalent Degree with at least 50% marks in aggregate by which Degree is awarded by the University or equivalent CGPA (obtained by conversion to percentage in accordance with the method of conversion of corresponding University's/Institution's norms).

OR

'A' Level from 'DOEACC', Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Government of India with at least 50% marks in aggregate by which Degree is awarded by the Institution/University or equivalent CGPA (obtained by conversion to percentage in accordance with the method of conversion of corresponding University's/Institution's norms) and Passed graduation in any subject from a recognized University.

(ii) B.Ed. Degree with at least 50% from NCTE recognized Institution/ University.

Desirable:

(i) Working knowledge of English and Hindi/Bhartiya Bhasha.

(ii) Experience of Working in a School.

H. FOR TRAINED GRADUATE TEACHERS – (Physical & Health Education) (P&HE–Male and P&HE–Female):

PAY SCALE: Level-7 (Rs.44900-142400) in the Pay Matrix

UPPER AGE LIMIT: Not exceeding 35 years

ESSENTIAL QUALIFICATION –

Four years integrated course / Bachelor's Degree in Physical Education/ Bachelor of Physical Education and Sports offered by NCTE recognized Institution/ University with at least 50% marks

OR

Graduation from a recognized university and B.P.Ed. offered by NCTE recognized Institution / University with at least 50% marks in Graduation and B.P.Ed. separately.

Desirable:

(i) Represented at least State at National Level in any of the Sports/Games recognized by Sports Authority of India (SAI)/the concerned federation.

(ii) Working knowledge of English and Hindi / Bhartiya Bhasha.

(iii) Experience of working in a school.

(iv) Diploma from National Institution of Sports

I. FOR TRAINED GRADUATE TEACHERS – (Art Education):

PAY SCALE: Level-7 (Rs.44900-142400) in the Pay Matrix

UPPER AGE LIMIT: Not exceeding 35 years

ESSENTIAL QUALIFICATION –

(i) Bachelor's degree in Drawing and Painting/ Sculpture /Graphic Art / Fine Arts from a recognized Institution /University with at least 50% marks provided that the candidates should have studied Drawing and Painting as Main subject in all the years of Degree.

(ii) B.Ed. Degree with at least 50% from NCTE recognized Institution/University.

Desirable:

(i) Working knowledge of English and Hindi/Bhartiya Bhasha.

(ii) Experience of Working in a School.

(iii) Working knowledge of computers.

J. FOR LIBRARIAN:

PAY SCALE: Level-7 (Rs.44900-142400) in the Pay Matrix

UPPER AGE LIMIT: Not exceeding 35 years

ESSENTIAL QUALIFICATION –

(i) Bachelor's Degree in Library Science from a recognized Institution/University with at least 50% marks

OR

Bachelor Degree in Library & Information Science from recognized Institution/University with at least 50% marks.

(ii) Knowledge of Computer Applications.

Desirable: Working knowledge of English and Hindi /Bhartiya Bhasha.

K. FOR PRIMARY TEACHER:

PAY SCALE: LEVEL – 6 (Rs.35400-112400) in the Pay Matrix

UPPER AGE LIMIT: Not exceeding 30 YEARS

ESSENTIAL QUALIFICATION:

(i) Senior Secondary/ Higher Secondary/ Intermediate (10+2) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) from recognized Institute/Board.

OR

Senior Secondary/ Higher Secondary/Intermediate (class XII) with at least 50% marks and 4-years Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.) from recognized Institute/Board.

OR

**Senior Secondary/ Higher Secondary/ Intermediate/ Class-XII with at least 50% marks and 2-years Diploma in Education (Special Education) from Rehabilitation Council of India (RCI).

(ii) Qualified in the Central Teacher Eligibility Test Paper-I conducted by the Central Board of Secondary Education (CBSE).

****Training to be undergone –** A person with D.Ed. (Special Education) qualifications shall undergo, after appointment an NCTE recognition 6-month Special Programme in Elementary Education.

Desirable:

(i) Knowledge of working on computer.

(ii) Working knowledge of English and Hindi/ Bhartiya Bhasha.

L. FOR PRIMARY TEACHER (MUSIC)

PAY SCALE: LEVEL – 6 (Rs.35400-112400) in the Pay Matrix

UPPER AGE LIMIT: Not exceeding 30 YEARS

ESSENTIAL QUALIFICATION:

Senior Secondary/ Higher Secondary/ Intermediate (Class XII) with 50% marks from recognized board.

AND

Bachelor's Degree in Music/ Performing Arts from a recognized Institution/ University, provided that music subject is studied in all the years of degree as main subject.

Note: Candidate having diploma in music is not eligible for the post.

Desirable: (i) Knowledge of Computer applications.

(ii) Working knowledge of English and Hindi/Bhartiya Bhasha.

M. FOR BALVATIKA TEACHER:

PAY SCALE: LEVEL – 6 (Rs.35400-112400) in the Pay Matrix

UPPER AGE LIMIT: Not exceeding 30 YEARS

ESSENTIAL QUALIFICATION:

(i) Senior Secondary/ Higher Secondary/ Intermediate (10+2) with at least 50% marks from recognized Institute/Board with English as subject in +2 level.

(ii) Diploma in Nursery Teachers Education / Pre-School Education /Early Childhood Care and Education (D.E.C.Ed.) of duration not less than two years, or B.Ed. (Nursery) from National Council for Teacher Education recognized Institution/University.

Desirable: (i) Knowledge of Computer applications.

(ii) Working knowledge of English and Hindi/Bhartiya Bhasha.

3. AGE RELAXATION

Maximum relaxation in upper age limit will be as under:

Sl. No.	Category of Persons	Extent of age relaxation/concession
(a)	Scheduled Caste / Scheduled Tribe	5 years
(b)	Other Backward Classes (Non-Creamy Layer)	3 years
(c)	Women (All Category) only if applying for PGTs, TGTs posts, Librarian, PRTs and Balvatika Teacher	10 years
(d)	Regular AEES Employees	05 years for General 08 years for OBC 10 years for SC/ST
(e)	Candidates with 3 years continuous service in Central Govt. provided the posts are in same or allied cadres (An applicant claiming age relaxation under this para should produce a certificate from his/her employer to the effect that he/she is a Government Servant as on the date of Advertisement) as per GoI rules.	05 years for General 08 years for OBC 10 years for SC/ST
(f)	Persons with Benchmark Disabilities (i) SC/ST (ii) OBC (NCL) (iii) General Additional 5 years age relaxation to AEES employees. For woman with disability, clause (c) is not applicable.	 15 years 13 years 10 years
(g)	For Group-A posts Ex-Servicemen (General) Ex-Servicemen (OBC) Ex-Servicemen (SC/ST)	 05 years 08 years (03 years + 05 years) 10 years (05 years + 05 years)
(h)	For Group-B posts (after deduction of the Military Service rendered from the actual age as on the closing date of receipt of applications.) Ex-Servicemen (General) Ex-Servicemen (OBC) Ex-Servicemen (SC/ST)	 03 years 06 years 08 years

Note:

a) The candidate should have attained minimum 18 years of age.

b) All the concessions mentioned above will be concurrent i.e. if a person is eligible for more than one concession, only one of the concessions of the highest permissible limit will be granted.

c) The age relaxation for SC/ST/OBC category applicants is admissible only in the case of vacancies reserved for such categories.

4. ELIGIBILITY CONDITIONS, RESERVATION BENEFITS AND DOCUMENTARY REQUIREMENTS

4.1. **The date of determining the eligibility of all candidates in every respect (i.e. age limit, essential qualification and other criteria etc.) shall be the last date of online submission of application. In case last date of online submission of application is revised, the date for determining the eligibility of the candidates in all respect will remain as the initial date indicated in notice. Before applying, applicants must satisfy about their eligibility criteria as on closing date of application.**

4.2. The OBC candidates who belong to 'Creamy Layer' are not entitled for concession admissible to OBC Category and such candidates have to indicate their category as General. Only those OBC

Categories, which are applicable for appointment under Central Government as per central list, will be considered under OBC (NCL). A candidate who claims to belong to OBC (NCL) category should submit in support of his /her claim, a copy of a certificate as per PROFORMA – I & PROFORMA – IA (as available in the detailed notification published on AEES website) from the appropriate issuing authority as provided under rules. Date of issue of OBC (Non-Creamy Layer) Certificate must be between 01.04.2026 to the date of joining in AEES.

4.3. A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe should submit in support of his / her claim, a copy of a certificate as per PROFORMA – II (as available in the detailed notification published on AEES website) from the appropriate issuing authority as provided under rules. The candidates should also be in possession of all the requisite certificates in the prescribed format in support of their claim as stipulated in the rules/notice for such benefits by the closing date of online applications failing which his/her candidature shall be rejected outright even though he/she qualifies the Computer Based Test (CBT) conducted for recruitment.

4.4. The candidates, who have filled any of the PwBD category in their application form, should preferably produce their UDID card as and when required by AEES as well as at the examination centre. The candidates who have not yet applied for UDID card should immediately apply for it in order to avoid any hardship at later stage.

4.5. EWS (Economically Weaker Section) Reservation:

a) Candidates who are not covered under the scheme of reservation for SC/ST/OBC (NCL) and whose family gross annual income is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh) shall be eligible for benefit of reservation for EWS. The income shall also include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. for the financial year prior to the year of application. Also candidates whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWS, irrespective of family income:

(i) 5 Acres of agriculture land and above

(ii) Residential flat of 1000 sq. ft. and above.

(iii) Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities.

(iv) Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

b) The property held by a family in different locations or different places / cities would be clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status. (The term Family – for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years and also his/her spouse and children below the age of 18 years).

c) The benefit of reservation under EWS can be availed upon production of an income and asset certificate issued by a competent authority. The income and asset certificate issued by any one of the following authorities in the prescribed format as given in PROFORMA - III (as available in the detailed notification published on AEES website) shall only be accepted as candidate's claim as belonging to EWS:

(i) District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ 1st Class Stipendiary Magistrate/ Sub Divisional Magistrate / Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner; or

(ii) Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate; or

(iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar; or

(iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides.

d) The candidates applying against the vacancies reserved for EWS must possess Income and asset certificate as on closing date of online application for this advertisement and should be valid for the year in which this recruitment notification is published. Accordingly, these

candidates are required to produce valid Income and asset certificate during documentation stage.

4.6. In case of candidates applying for the post of PRT, TGTs (except Music, Art Education, Librarian, Physical Education/Physical & Health Education) a valid CTET certificate issued on or before the closing date for submission of online application is essential.

4.7. A candidate who claims to be Ex-Serviceman should submit in support of his / her claim, a copy of a certificate as per PROFORMA – IV & PROFORMA – IV A from the appropriate issuing authority as provided under rules.

4.8. The candidates who are working in Government/ PSUs/ Government Autonomous Institutions/ Central and State Government undertakings are advised to inform their parent organization before applying. At the time of document verification before Skill test/ interview, they will be required to submit original 'No Objection Certificate' (NOC) from the existing employer if he/she is selected for the post and also indicating vigilance clearance, failing which the candidature will be cancelled.

4.9. The candidates are required to submit the latest (not older than 6 months from the last date of online submission of application) POLICE VERIFICATION CERTIFICATE (PVC) issued by the local police station at the time of his/her appearing for Skill test/Interview. Candidates who are not able to produce PVC are required to produce application made to the local police station to obtain PVC duly acknowledged by the authority (not older than 6 months from the date of interview/skill test). Candidates who come without PVC/acknowledgement of application for PVC as per the said requirement will not be allowed to appear for Skill test/Interview.

5. PROVISIONS FOR DIFFERENTLY ABLED CANDIDATES

a. A candidate who claims to belong to PwBD category as defined under section 2(r) of the RPWD Act 2016 should submit a copy of the certificate PROFORMA-V-A/ PROFORMA-V-B/ PROFORMA-V-C and UDID card issued by appropriate issuing authority as per rule on the prescribed in support of his /her claim.

b. The facility of Scribe would be allowed to any person with benchmark disability as defined under section 2(r) of the RPWD Act 2016 and has limitation in writing including that of speed if so desired by him/her.

c. In case of persons with benchmark disabilities in the category of blindness, locomotor disability, the facility of scribe shall be given, if so desired by the person.

d. In case of other category of persons with benchmark disabilities, the provision of scribe can be allowed on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write and scribe is essential to write examination on his behalf, from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government health care institution as per proforma at PROFORMA-V-D.

e. The facility of scribe and/or compensatory time shall be granted to those persons with specified disabilities covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not to those covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing. The candidates are to produce a certificate to the effect that person concerned has limitation to write and that scribe is essential to write examination on his/her behalf from the competent medical authority of a Government healthcare institution as per PROFORMA-V-E.

f. PwBD candidates except candidates with blindness, if they need Scribe, will have to bring their own scribe to assist them in the Computer Based Test (CBT). In case of PwBD candidates, with blindness scribe can be provided by AEES subject to such request being made while filling up the online application form and submission of documents for such disability. The PwBD candidates who would like to avail the service of his/her own scribe shall be required to upload details of the scribe as per proforma at PROFORMA-V-F.

g. The qualification of the scribe should be one step below the essential minimum qualification for the post for which the candidate taking the test. The candidate has to produce a valid ID proof (PAN,

Aadhar Card, Driving Licence etc.) of the scribe in original at the time of CBT. A photocopy of the ID proof of the scribe signed by the candidate as well as by the scribe will be submitted at the time of CBT along with proforma at PROFORMA-V-F. In case, subsequently it is found that the qualification of the scribe is not as declared/equal or above the candidate, then the candidature of the candidate shall be forfeited and his/her right to the post and claims thereon will not be entertained.

h. The scribe brought by any candidate, himself/ herself should not be a candidate of this CBT. If a candidate is found assisting another PwBD candidate as scribe in this CBT, then the candidatures of both the candidates will be cancelled.

i. No attendant other than the scribe, for eligible PwBD candidates, will be allowed inside the examination hall.

j. VI candidates who are able to read the Questions from computer with or without magnifying glass will not be entitled for a scribe and will be allowed to use magnifying glass in CBT. Such candidates will have to bring their own Magnifying Glass to the Examination Hall.

k. The differently-abled candidates will be given 20 minutes of compensatory time for a 1-hour duration (and proportionately for part thereof), upon production of a certificate (regarding physical limitation in an exam to write) issued by the competent authority. In case, a differently abled candidate is not willing to avail compensatory time, he/she should submit an undertaking to this effect to the Centre Superintendent. However, no extra time will be provided during skill test.

l. The differently-abled candidates should bring with themselves the disability certificate on proper format issued by the Competent Authority and it should be produced at the examination centre to avail above relaxation(s). The facility of scribe and/or compensatory time will not be provided to the candidate if he/she is not able to produce disability certificate (on proper format issued by the Competent Authority) before centre superintendent before commencement of examination.

m. The candidates who are eligible to use scribe but do not avail the facility of scribe will also be given above compensatory time.

n. In terms of Office Memorandum No. 18-25/2024-Policy dated 17.12.2025 issued by Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt of India, the following provisions are applicable for Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) candidates:

i) That the disability conditions falling under the category “likely to improve” under temporary disability category, are not eligible for reservation.

ii) That the conditions, i.e. “progressive, non-progressive or not likely to improve” are to be treated eligible for reservation.

6. HOW TO APPLY:

a. Candidates who fulfil all the eligibility criteria may register and apply online through the Online Application Portal of AEES (https://aees.onlineregistrationforms.com) within stipulated period. No other means/mode of application will be accepted. Exemption from paying of Application fee will automatically appear on the screen whenever the exemption category is entered in the relevant place of the application form.

b. A candidate should submit only one application per post he/she wishes to apply. There will be drop-down for all the posts mentioned in the notification and the candidates will have to select the post(s) for which they want to apply. In case a candidate selects more than one post, he/she will have to pay the requisite fee separately for all the posts applied by him/her. **However, within PGTs, a candidate shall apply only for one subject/post irrespective of the fact that he/she fulfils qualifications in more than one subject. Similarly, within TGTs, a candidate shall apply only for one subject/post irrespective of the fact that he/she fulfils qualifications in more than one subject**. Therefore, the candidates are advised to exercise due diligence at the time of filling their online application forms.

c. In case a candidate submits separate applications for different posts, he/she may be allotted different examination centre in the same city for which AEES will not be responsible and the request for allotment of same examination centre will not be entertained for whatsoever reason.

d. Multiple applications submitted by any candidate (if detected at later stage) for a post may be cancelled and fee paid by such candidates will be forfeited.

e. Candidates are required to have a valid personal email ID and mobile number. Candidates are advised not to share / mention e mail id/ log in credentials to/of any other person under any circumstances. Admit Card for CBT and Call Letter for Skill test/ Interview can only be downloaded by the eligible candidates from their candidate login. Admit Cards/ call letter will not be sent by email/post.

f. In case a candidate does not have a valid personal email ID, he/she should create his/ her new email ID before applying online.

g. The name of the candidate, date of birth and his/ her parent's name etc. should be spelt correctly in the application as it appears in the class X certificate/mark sheet. At the time of filling the online application, candidates are advised to fill their particulars i.e. name, father's/mother's name, date of birth, caste, gender correctly. After the examination or at the time of interview/skill test, the request for change of particulars especially for change of category/sub-category will not be entertained by AEES.

h. The candidates are advised to fill online application form well in time without waiting for last date. AEES will not be responsible for any technical glitches that may arise due to internet/connectivity issue at the candidate's end during online application submission process.

i. The printout of application form should be sent neither to AEES nor to any other address. The application printout will have to be submitted during document verification at the time of Interview/Skill Test along with the self-attested copies of certificates in support of Age, Qualification, Experience, Caste, Caste Validity, Non-Creamy Layer, Physical disability, EWS etc. as applicable.

j. The candidates should complete all steps of online application form and take a printout of Confirmation Page for future reference. In case, the candidate has not generated confirmation page, the application form shall be treated incomplete.

k. Incomplete On-line application, in any manner (for whatsoever reason) shall be summarily rejected and no further correspondence shall be entertained.

l. For further details, please refer Online Application Portal of AEES (https://aees.onlineregistrationforms.com).

7 DOCUMENTS TO BE UPLOADED AT THE TIME OF APPLYING ONLINE:

Scanned copies of the following documents shall be uploaded at the time of online submission of application (scanning of documents shall be done using a proper scanner and not by using mobile phone's camera/not by any other app otherwise the application may be rejected). The guidelines of scanning and uploading, size of document etc. are mentioned in the Online Application Portal of AEES.

7.1 For the post of Principal

I) Recent colour photograph (in.jpg/.jpeg/.png format). Application with unclear photograph (miniature photograph/side facing photograph/ photographs with goggles/ photographs with caps/ no photographs, size not as per requirement etc.) will be rejected.

II) Proof of claim of reservation, if required, as indicated in para 4 whichever is applicable.

III) No Objection Certificate as per para 4.8, if applicable

IV) Proof of Date of Birth (Mark Sheet of class X /Admit Card of class X/Passing Certificate of class X)

V) Gazette notification in case of change of name, if any.

VI) Proof of claim of PwBD as indicated in para 5 if applicable.

VII) Mark Sheet of HSC/+2/Intermediate
VIII) Semester or Year wise Mark Sheet of all years of Graduation
IX) Degree Certificate/Provisional Certificate of Graduation
X) Semester or Year wise Mark Sheet of Post Graduation
XI) Transcripts for Post Graduation issued by the Universities/ Institutions for conversion from GPA/ CGPA to percentage, if marks are not indicated in percentage in the Mark Sheet
XII) Degree Certificate/ Provisional Certificate of Post Graduation
XIII) Semester / Year wise Mark Sheet of B.Ed.
XIV) Degree certificate/Provisional Certificate of B.Ed.
XV) Certificate/Proof of any additional qualification already acquired/pursuing.
XVI) Copy of experience certificate
XVII) Signature of the candidate.

7.2 For the post of Vice-Principal

I) Recent colour photograph (in .jpg/.jpeg format). Application with unclear photograph (miniature photograph/side facing photograph/ photographs with goggles/ photographs with caps/ no photographs, size not as per requirement etc.) will be rejected.
II) Proof of claim of reservation, if required, as indicated in para 4 whichever is applicable.
III) No Objection Certificate as per para 4.8, if applicable
IV) Proof of Date of Birth (Mark Sheet of class X /Admit Card of class X/Passing Certificate of class X)
V) Gazette notification in case of change of name, if any.
VI) Proof of claim of PwBD as indicated in para 5 if applicable.
VII) Mark Sheet of HSC/+2/Intermediate
VIII) Semester or Year wise Mark Sheet of all years of Graduation
IX) Degree Certificate/Provisional Certificate of Graduation
X) Semester or Year wise Mark Sheet of Post Graduation
XI) Transcripts for Post Graduation issued by the Universities/Institutions for conversion from GPA/CGPAto percentage, if marks are not indicated in percentage in the Mark Sheet
XII) Degree Certificate/ Provisional Certificate of Post Graduation
XIII) Semester / Year wise Mark Sheet of B.Ed.
XIV) Degree certificate/Provisional Certificate of B.Ed.
XV) Certificate/Proof of any additional qualification already acquired/pursuing.
XVI) Copy of experience certificate
XVII) Signature of the candidate.

7.3 For the post of PGTs (all posts)

I) Recent colour photograph (in .jpg/.jpeg format). Application with unclear photograph (miniature photograph/side facing photograph/ photographs with goggles/ photographs with caps/ no photographs, size not as per requirement etc.) will be rejected.
II) Proof of claim of reservation, if required, as indicated in para 4 whichever is applicable.
III) No Objection Certificate as per para 4.8, if applicable
IV) Proof of Date of Birth (Mark Sheet of class X/Admit Card of class X/Passing Certificate of class X)
V) Gazette notification in case of change of name, if any.
VI) Proof of claim of PwBD as indicated in para 5 if applicable.
VII) Mark Sheet of HSC/+2/Intermediate

VIII) Semester or Year wise Mark Sheet of all years of Graduation
IX) Degree Certificate/Provisional Certificate of Graduation
X) Semester or Year wise Mark Sheet of Post Graduation
XI) Transcripts for Post Graduation issued by the Universities/Institutions for conversion from GPA/CGPA to percentage, if marks are not indicated in percentage in the Mark Sheet
XII) Degree Certificate/ Provisional Certificate of Post Graduation
XIII) Semester / Year wise Mark Sheet of B.Ed.
XIV) Degree certificate/Provisional Certificate of B.Ed.
XV) Certificate/Proof of any additional qualification already acquired/pursuing
XVI) Signature of the candidate.

7.4 For the post of TGTs (all posts)

I) Recent colour photograph (in .jpg/.jpeg format). Application with unclear photograph (miniature photograph/side facing photograph/ photographs with goggles/ photographs with caps/ no photographs, size not as per requirement etc.) will be rejected.
II) Proof of claim of reservation as indicated in para 4 whichever is applicable.
III) No Objection Certificate as per para 4.8, if applicable
IV) Proof of Date of Birth (Mark Sheet of class X /Admit Card of class X/Passing Certificate of class X)
V) Gazette notification in case of change of name.
VI) Proof of claim of PwBD as indicated in para 5 if applicable.
VII) Mark Sheet of HSC/+2/Intermediate
VIII) Semester or Year wise Mark Sheet of all years of Graduation
IX) Transcripts for graduation issued by the Universities/Institutions for conversion from GPA/CGPA to percentage, if marks are not indicated in percentage in the Mark Sheet
X) Degree certificate/Provisional Certificate of Graduation
XI) Semester/ Year wise Mark Sheet of B.Ed. or equivalent, not applicable for TGT (P&HE) (Male) and (Female).
XII) Degree certificate/Provisional Certificate of B.Ed.
XIII) CTET Part-II marks statement, not applicable for TGT (Computer Science), TGT (P&HE) (Male), TGT (P&HE) (Female) and TGT (Art Education)
XIV) Certificate/Proof of any additional qualification already acquired/pursuing
XV) Signature of the candidate.

7.5 For the post of Librarian

I) Recent colour photograph (in .jpg/.jpeg format). Application with unclear photograph (miniature photograph/side facing photograph/ photographs with goggles/ photographs with caps/ no photographs, size not as per requirement etc.) will be rejected.
II) Proof of claim of reservation as indicated in para 4 whichever is applicable.
III) No Objection Certificate as per para 4.8, if applicable
IV) Proof of Date of Birth (Mark Sheet of class X /Admit Card of class X/Passing Certificate of class X)
V) Gazette notification in case of change of name.
VI) Proof of claim of PwBD as indicated in para 5 if applicable.
VII) Mark Sheet of HSC/+2/Intermediate
VIII) Semester or Year wise Mark Sheet of all years of Graduation
IX) Transcripts for Post Graduation/graduation/diploma issued by the Universities/Institutions for conversion from GPA/CGPA to percentage, if marks are not indicated in percentage in the mark-sheet
X) Degree certificate/Provisional Certificate of Graduation

XI) Certificate/Proof of any additional qualification already acquired/pursuing
XII) Signature of the candidate.

7.6 For the post of Primary Teacher

I) Recent colour photograph (in .jpg/.jpeg format). Application with unclear photograph (miniature photograph/side facing photograph/ photographs with goggles/ photographs with caps/ no photographs, size not as per requirement etc.) will be rejected.
II) Proof of claim of reservation as indicated in para 4 whichever is applicable.
III) No Objection Certificate as per para 4.8, if applicable
IV) Proof of Date of Birth (Mark Sheet of class X /Admit Card of class X/Passing Certificate of class X)
V) Gazette notification in case of change of name.
VI) Proof of claim of PwBD as indicated in para 5 if applicable.
VII) Mark Sheet of Higher Secondary/Senior Secondary/Intermediate/+2 or equivalent.
VIII) Passing Certificate of Higher Secondary/Senior Secondary/Intermediate/+2 or equivalent
IX) Transcripts for Higher Secondary/Senior Secondary/Intermediate/+2 or equivalent issued by the boards/institutions for conversion from GPA/CGPA to percentage, if marks are not indicated in percentage in the Mark Sheet
X) Semester or Year wise Mark Sheet of all years of D.El.Ed./B.El.Ed. or equivalent.
XI) Degree certificate/Provisional Certificate of D.El.Ed./B.El.Ed.
XII) CTET (Paper-I) mark statement.
XIII) Certificate/Proof of any additional qualification already acquired/pursuing
XIV) Signature of the candidate.

7.7 For the post of Primary Teacher (Music)

I) Recent colour photograph (in .jpg/.jpeg format). Application with unclear photograph (miniature photograph/side facing photograph/ photographs with goggles/ photographs with caps/ no photographs, size not as per requirement etc.) will be rejected.
II) Proof of claim of reservation as indicated in para 4 whichever is applicable.
III) No Objection Certificate as per para 4.8, if applicable
IV) Proof of Date of Birth (Mark Sheet of class X /Admit Card of class X/Passing Certificate of class X)
V) Gazette notification in case of change of name.
VI) Proof of claim of PwBD as indicated in para 5 if applicable.
VII) Mark Sheet of HSC/+2/Intermediate
VIII) Passing Certificate of Higher Secondary/Senior Secondary/Intermediate/+2 or equivalent
IX) Semester or Year wise Mark Sheet of all years of Graduation, if applicable
X) Degree certificate/Provisional Certificate of Graduation
XI) Semester or Year wise Mark Sheet of all years of diploma of minimum 2 years in Music, if applicable
XII) Certificate/Proof of any additional qualification already acquired/pursuing
XIII) Signature of the candidate.

7.8 For the post of Balvatika Teacher

I) Recent colour photograph (in .jpg/.jpeg format). Application with unclear photograph (miniature photograph/side facing photograph/ photographs with goggles/ photographs with caps/ no photographs, size not as per requirement etc.) will be rejected.
II) Proof of claim of reservation as indicated in para 4 whichever is applicable.
III) No Objection Certificate as per para 4.8, if applicable
IV) Proof of Date of Birth (Mark Sheet of class X /Admit Card of class X/Passing

Certificate of class X)

V) Gazette notification in case of change of name.

VI) Proof of claim of PwBD as indicated in para 5 if applicable.

VII) Mark Sheet of HSC/+2/Intermediate

VIII) Passing Certificate of Higher Secondary/Senior Secondary/Intermediate/+2 or equivalent

IX) Transcripts for Higher Secondary/Senior Secondary/Intermediate/+2 or equivalent issued by the boards/institutions for conversion from GPA/CGPA to percentage, if marks are not indicated in percentage in the Mark Sheet

X) Semester or Year wise Mark Sheet of all years of diploma in Nursery Teacher Education /Pre-School Education/Early Childhood Education Programme (D. E. C. Ed.) of duration of not less than two years, if applicable

XI) Semester or Year wise Mark Sheet of all years of B.Ed. (Nursery) from National Council for Teacher Education recognized institution, if applicable

XII) Certificate/Proof of any additional qualification already acquired/pursuing

XIII) Signature of the candidate.

7.9 List of original documents accepted as valid photo identity card:

I. Aadhaar Card; or

II. Voter's ID Card; or

III. Driving License; or

IV. PAN Card; or

V. Passport; or

VI. Employer ID Card (Govt./ PSU/Autonomous Body); or

VII. Any other photo bearing ID card issued by the Central/State Government.

8 APPLICATION FEE/PROCESSING FEE AND MODE OF PAYMENT:

a. The candidates have to pay Application fee of **Rs.750/- (Rupees Seven Hundred Fifty Only)** and **processing fee of Rs. 250 (Rupees Two Hundred and Fifty only)** online through the prescribed link at online application.

b. No Application fee is required to be paid by candidates belonging to Women/SC/ST/PwBD and Ex-Servicemen category. However, the processing of **Rs.250/- (Rupees Two Hundred and Fifty only)** will have to be paid by each and every applicant.

c. GST as applicable will be charged extra by the Bank.

d. Mode of Payment: By Online-mode (Payment by Debit Card/Credit Card/Net Banking) using online gateway payment facility.

i) If decided to pay fee through Debit/Credit Card, check the validity of the Card and keep it ready with you while logging on to website for submitting application form.

ii) Once the payment has been confirmed by the Bank/NIC, a confirmation page will be generated.

iii) In case, the fee payment status is not "OK" the candidates are advised as following:-

If the fee is paid through credit/debit card and status is not OK, it means the transaction is cancelled and the amount will be refunded to concerned credit/debit card within a week. Such candidates have to pay the fee once again.

e. If the fee is paid through net banking and status is not successful; it means the transaction is not completed. Such candidates have to pay the fee.

f. Please note that fee submitted by any other mode like money order, demand draft, IPO etc. will be rejected.

g. Application fee once remitted will NOT be refunded under any circumstances.

9. MODE OF SELECTION:

Selection of candidates for all posts shall be made on the basis of their Performance in a CBT followed by a Skill test/Interview.

9.1.1 Detailed guidelines and procedure for appearing in Computer Based Test (CBT):

A Computer Based Test (CBT) requires candidates to sit in front of a computer terminal (node) allocated to them against their Roll number and Admit card. After logging the candidate will get detailed instructions for the examinations. At the designated time of start of examination, the candidates will be able to proceed and see the questions on the computer screen using the computer mouse. They will have to answer the questions on the computer by clicking the appropriate bubble. Candidates will have the option to change / modify/ edit / answers already entered any time during the examination. Detailed guidelines and Procedure for appearing in CBT, along with a Sample/mock test, will be made available on the Online Application Portal of AEES (https://aees.onlineregistrationforms.com).

9.1.2. The mode of examination will be CBT comprising Multiple Choice Questions (MCQs).

9.1.3 Scheme of the CBT shall be as under

I) <u>For the Post of Principal:</u>

Sr. No.	Test Components/ Syllabus for Written Test	Number of Questions	Total Marks	Duration of Written Exam
1	General English	5	5	2 Hours 30 Minutes No negative marking
2	General Hindi	5	5	
3	General Reasoning	10	10	
4	General Knowledge	7	7	
5	Basic Computer Literacy	8	8	
6	Numerical Ability	10	10	
7	Understanding the Learner	10	10	
8	Understanding Teaching Learning	10	10	
9	Planning and Organization Teaching Learning	10	10	
10	Creating Conducive Learning Environment	10	10	
11	School Organization and Leadership	10	10	
12	Prospective in Education	10	10	
13	Management Supervision and Leadership	20	20	
14	Administration and Finance	25	25	
	Total	**150**	**150**	

II) <u>For the Post of Vice-Principal:</u>

Sr. No.	Test Components/ Syllabus for Written Test	Number of Questions	Total Marks	Duration of Written Exam
1	General English	5	5	2 Hours 30 Minutes No negative marking
2	General Hindi	5	5	
3	General Reasoning	10	10	
4	General Knowledge	7	7	
5	Basic Computer Literacy	8	8	
6	Numerical Ability	10	10	
7	Understanding the Learner	10	10	
8	Understanding Teaching Learning	10	10	
9	Planning and Organization Teaching Learning	15	15	
10	Creating Conducive Learning Environment	15	15	

11	School Organization and Leadership	15	15	
12	Prospective in Education	10	10	
13	Management Supervision and Leadership	15	15	
14	Administration and Finance	15	15	
	Total	**150**	**150**	

III) For the post of PGTs/TGTs/Librarian/ PRTs/PRT (Music)/ Balvatika Teachers

Sr. No.	Test Components/ Syllabus for Written Test	Number of Questions	Total Marks	Duration of Written Exam
1	General English	5	5	02 Hours No negative marking
2	General Hindi	5	5	
3	General Reasoning	5	5	
4	General Knowledge	5	5	
5	Basic Computer Literacy	5	5	
6	Numerical Ability	5	5	
7	Teaching Methodology	15	15	
8	Subjects Concerned	75	75	
	Total	**120**	**120**	

Candidates may please note that proportion of questions those will be asked in the CBT may not be equal for all the subjects mentioned in the table above.

9.1.4 There is no provision of re-evaluation for CBT examination. No request in this regard will be entertained for whatsoever the reasons may be.

9.1.5 – **Syllabus**: Detailed Syllabus for all posts is available in Online Application Portal of AEES (https://aees.onlineregistrationforms.com).

9.2 Interview/ Skill Test:

9.2.1 Preparation of list of Candidates for Skill Test:

A list of qualified candidates shall be prepared on the basis of the result of CBT for all the categories under each post based on thefollowing

a) For UR/EWS vacancies – UR/EWS candidates who score 60% or above in CBT will be eligible for short listing for skill test
b) For SC/ST/OBC/PwBD vacancies - Candidates belonging to SC/ST/OBC/PwBD who scores 54% or above in CBT will be eligible for short listing for skill test
c) In case of non-availability of required no. of candidates qualifying for any category under a post in CBT as per above norms, AEES reserves the right to bring down the minimum percentage of marks for qualifying in CBT (but not less than 55% marks for UR, EWS vacancies and not less than 49% for SC, ST, OBC, PwBD vacancies)

9.2.2 Number of candidates to be called for skill test/interview:

Following number of candidates shall be called for Skill test/ interview from the list of candidates who qualified in CBT for each post in the order of merit.

a) For UR post

No. of vacancies under each post	No. of candidates to be called for the Skill test/ Interview
1	5
2	8
3	10
4	12

5 and above up to 10	Twice the number of vacancies (rounded off to next highest integer) + 4
Exceeding 10	One and half times the number of vacancies (rounded off to next higher integer) + 3 but not less than 24.

b) For reserved post:

No of vacancies	No of candidates to be called for Skill test/interview
1 and above	Five times the number of vacancies

Mere qualifying in CBT will not make candidates eligible for Skill test/interview.

9.2.3. Interview for the Post of Principal/ Vice-Principal: Candidates shall be called for interview from the list of candidates who qualified in the CBT in the order of merit.

9.2.4. Skill Test for the post of PGTs, TGTs, Librarian, PRT, PRT (Music) and Balvatika Teacher: The skill test shall be of qualifying nature and shall be conducted on "Go/ No Go" basis. The test shall be chalk and board-based test for teaching skills. The candidates shall be given subject oriented topic. Candidates will have to demonstrate their teaching ability to the committee.

9.3. Empanelment of Candidates in select list:

9.3.1 Empanelment of candidates for the post of Principal and Vice-Principal:

i. The reserved category applicants, who apply against posts advertised for UR category, are not entitled for any concession in CBT and interview marks. They have to compete with UR candidates in all aspects.

ii. The final selection will be based on the merit list prepared by taking the aggregate marks obtained in the CBT and in the interview (subject to the candidates scoring 60% and 54% and above marks in both CBT and Interview separately for the UR and reserved categories posts respectively). The weightage shall be 50:50 for CBT and Interview.

iii. In case of tie between the candidates scoring same total marks (CBT plus interview), the tie breaker is decided for empanelling as per following:
Tie breaker 1: Candidate senior in age will be ranked higher for considering for empanelment.
Tie breaker 2: Candidate who scored higher marks in the CBT will be ranked higher for empanelment.

9.3.2 Empanelment of candidates for the post of PGTs, TGTs, Librarian, PRT, PRT (Music) and Balvatika Teacher:

i. The reserved category applicants, who apply against posts advertised for UR category, are not entitled for any concession in CBT. They have to compete with UR candidates in all aspects.

ii. Candidates who are awarded as 'GO' in skill test will only be empanelled in the order of merit based on marks secured in CBT. Candidates who are awarded as 'No Go' in skill test will not be considered for empanelment irrespective of their merit in the CBT.

iii. In case of tie between the candidates scoring same marks in CBT and being awarded 'Go' in skill test, the tie breaker is decided for empanelling as per following:
Tie breaker 1: Candidate senior in age will be placed higher
Tie breaker 2: Candidate will be ranked higher based on the percentage of marks obtained in their essential qualification for the respective post.

9.3.3 The number of candidates to be empanelled in select list shall be in the order of merit and equal to the number of vacancies advertised.

9.3.4 A waiting list of candidates equal to the number of vacancies advertised shall also be

prepared from the rest of empanelled candidatesin the order of merit.

9.3.5 Candidates from select list will be offered the post against vacancies in the order of merit, as and when vacancy arises.

9.3.6 The wait list will be operated, if the candidates from select list do not accept the offer of appointment/ do not join within the stipulated time.

9.3.7 The validity of the wait list panel is of one year from the date of empanelment.

9.4 Medical Test

The candidates who receive the offer of appointment will be medically examined. A candidate must be in good mental and bodily health to discharge of his/ her duties. A candidate who is found not to satisfy these requirements, as may be prescribed by the competent authority, will not be appointed.

9.5 Mock Test for Computer Based Test (CBT)

Candidates provisionally eligible for appearing in CBT, shall be provided with a Mock CBT Practice Link within their applicant login after issuance of call letter so that they can get accustomed to the software pattern/screens and practice the method of computer-based test, i.e. question and answering mode in MCQ. All candidates are expected to practice the same so as to minimize any query during actual exam. However, the sample questions to be used in mock test are only for reference, the pattern and standard of these questions need not be same as actual CBT.

10. Venue for CBT and Skill Test/Interview for all Posts

10.1 The CBT shall be tentatively held at following cities,

Sr. No.	Examination Centre (City)	State
1	Amaravati	Andhra Pradesh
2	Vishakhapatnam	Andhra Pradesh
3	Itanagar	Arunachal Pradesh
4	Guwahati	Assam
5	Patna	Bihar
6	Raipur	Chhattisgarh
7	Panaji	Goa
8	Ahmedabad	Gujarat
9	Vadodara (Baroda)	Gujarat
10	Chandigarh	Haryana
11	Shimla	Himachal Pradesh
12	Srinagar	Jammu & Kashmir
13	Ranchi	Jharkhand
14	Bengaluru	Karnataka
15	Ernakulam	Keralam
16	Thiruvananthapuram	Keralam
17	Leh	Ladakh
18	Bhopal	Madhya Pradesh
19	Indore	Madhya Pradesh
20	Mumbai & Mumbai Suburban up to Andheri (Western) and Ghatkopar (Main)*	Maharashtra
21	Mumbai Suburban beyond Andheri (Western) and Navi Mumbai*	Maharashtra
22	Nagpur	Maharashtra
23	Pune	Maharashtra
24	Shillong	Meghalaya
25	Aizawl	Mizoram
26	Kohima	Nagaland
27	Delhi (Proper) #	New Delhi
28	Delhi NCR – Gurugram (Gurgaon)#	New Delhi
29	Delhi NCR – Noida#	New Delhi
30	Bhubaneswar	Odisha

31	Rourkela	Odisha
32	Puducherry	Puducherry
33	Amritsar	Punjab
34	Jaipur	Rajasthan
35	Kota	Rajasthan
36	Gangtok	Sikkim
37	Chennai	Tamil Nadu
38	Tiruchirappalli	Tamil Nadu
39	Hyderabad	Telangana
40	Agartala	Tripura
41	Allahabad	Uttar Pradesh
42	Lucknow	Uttar Pradesh
43	Dehradun	Uttarakhand
44	Kolkata	West Bengal

Note: * - **Out of** Mumbai & Mumbai Suburban upto Andheri (Western) and Ghatkopar (Main) **and** Mumbai Suburban beyond Andheri (Western) and Navi Mumbai, only one should be chosen as an option for exam city.

- **Out of** Delhi (Proper), Delhi NCR – Gurugram and Delhi NCR – Noida, only one should be chosen as an option for exam city

AEES will endeavour to accommodate the candidates in cities opted by them for CBT. However, AEES reserves the right to cancel any city for conducting CBT and ask all the candidates opted for that particular city to appear from another city. AEES also reserves the right to divert candidates opted for any city for appearing in CBT to some other city.

10.2 The Skill Test/ Interview will be held only at AEES, Anushaktinagar, Mumbai.

10.3 The schedule and any other details pertaining to CBT and Skill test/interview for the different posts will only be notified in Online Application Portal of AEES (https://aees.onlineregistrationforms.com).

11. IMPORTANT DATES:

Sl. No.	Event	Date
1	Opening of online application process and payment of Application fee	2nd November, 2026 (10.00AM)
2	Last date of online submission of applications	22nd November, 2026 (11.50PM)
3	Last date for payment of application fee	22nd November, 2026 (11.50PM)
4	Start Date for downloading Hall ticket/Admit card	Will be intimated through Online Application Portal of AEES (https://aees.onlineregistrationforms.com)
5	Date of Computer Based Test	Will be intimated through Online Application Portal of AEES (https://aees.onlineregistrationforms.com)
6	Display of answer key	within 3 days from the date of Computer Based Test
7	Time limit for reporting discrepancies in answer key through online mode	within 72 hours of display of answer key
8	Display of Final answer key	Within 15 days from the date of CBT

12. REPORTING OF DISCREPANCIES IN ANSWER KEY:

12.1 Answer Keys will be placed on the Online Application Portal of AEES (https://aees.onlineregistrationforms.com) and after the CBT for all the posts. Candidates are advised to visit AEES Online Application Portal at regular intervals to view the answer key in their respective login. Candidates may go through the Answer Keys and submit representations, if any, within the prescribed time limit through online mode only, with a challenge fee of Rs.250/- (Rupees Two Hundred and Fifty only) per question as processing charges. Discrepancies submitted through any other medium (viz. email/letter/representation) will not be considered.

12.2 Discrepancies regarding the Answer Keys received within the prescribed time limit will be scrutinized before finalizing the Answer Keys, and the decision of AEES in this regard will be final. No representation regarding the Answer Keys will be entertained thereafter.

12.3 If any discrepancy is reported by the candidate and is found to be correct, the challenge fee shall be refunded to the candidates who have submitted such claim. The candidates will not be informed individually about the status of their challenges. The result will be declared according to the final answer keys prepared by the subject experts. The candidates can see the revised answer key in their respective login.

12.4 If any question in the CBT is found to be incorrect, or all the options for a particular question are found to be incorrect, or more than one answer option is found to be correct (after being claimed by the candidates within the given time limit and confirmed by AEES), 1 (one) mark will be awarded against that question to all the candidates who appeared in CBT, irrespective of whether the candidate had attempted the question or not.

12.5 The revised/final answer keys will be made available for viewing through candidate's login for a maximum period of 10 days only from the date of publishing on AEES Online Recruitment Portal.

NO GRIEVANCE WITH REGARD TO ANSWER KEY(S) AFTER DECLARATION OF RESULT WILL BE ENTERTAINED.

13. Documents to be Submitted/Produced at the Time of Skill Test/Interview:

Candidates shall submit the self-attested copies of following documents and shall also produce the originals of these documents for verification.

Sl. No.	Post	Requirement I	Requirement II
1	Principal	All documents as mentioned in 7.1	Printout of application form (all pages duly signed) with photograph affixed.
2	Vice-Principal	All documents as mentioned in 7.2	
3	PGTs (all posts)	All documents as mentioned in 7.3	
4	TGTs (all posts)	All documents as mentioned in 7.4	
5	Librarian	All documents as mentioned in 7.5	
6	Primary Teacher	All documents as mentioned in 7.6	
7	Primary Teacher (Music)	All documents as mentioned in 7.7	
8	Balvatika Teacher	All documents as mentioned in 7.8	

14. GENERAL INSTRUCTIONS TO THE CANDIDATES

a. The vacancies for the posts included in this recruitment notification are tentative and may increase or decrease. AEES reserves the right to withdraw/ not to fill up any or all the posts or even cancel the whole process of recruitment without assigning any reason and without any notification. **In such case, Application fee will not be refunded**. AEES also reserves the right to cancel/ restrict/ modify/ alter/ insert any corrections/additions in the recruitment notice before the last date of submission of online applications, for which the candidates are advised to visit

Online Application Portal of AEES (https://aees.onlineregistrationforms.com) for such changes or any other updates.

b. Any modifications/ amendments/ instructions in the advertisement will be made available on Online Application Portal of AEES (https://aees.onlineregistrationforms.com)

c. Eligibility for educational and teaching qualifications of the candidates shall be strictly in accordance with those prescribed in this recruitment notice. The candidate should satisfy his/ her eligibility before applying and shall be personally responsible in case he/she is not eligible to apply as per the given eligibility criteria. It is to be noted that if a candidate has been allowed to appear in the CBT/ Interview/ Skill Test, it does not imply that the candidate's eligibility has been verified. The eligibility shall be finally verified, by the appointing authority concerned.

d. Candidates will be shortlisted for further stage of selection process based on information provided by him/her. Therefore, it will be the sole responsibility of candidate to prove his/ her eligibility with respect to qualification criteria advertised by AEES.

e. The AEES may take up the verification of eligibility of the candidate at any point of time prior to or after the completion of the selection process. If it is found at any stage (including the date of joining & thereafter) that the candidate is not eligible, his/her candidature shall be summarily rejected.

f. As & when required by AEES, the candidates will have to show their original documents in support of essential & desirable qualifications, experience, OBC-NCL/SC/ST/EWS/PwBD category and other information as filled by them in their online application forms.

g. Candidate, if found 'Not Eligible' during the verification prior to the interview/skill test shall not be allowed to appear for the Interview/Skill test.

h. All correspondences/ announcements with respect to this recruitment process shall be done through applicants' application log-in and/or notices on the Online Application Portal of AEES (https://aees.onlineregistrationforms.com). Important information regarding this recruitment will be available on AEES Online Recruitment Portal and candidates are advised to visit the same frequently.

i. It is the responsibility of the candidate to download and print the Admit Card for CBT from the AEES Online Recruitment Portal by using his/her Login ID & Password. AEES will not be responsible for any loss of e-mail sent, due to invalid/ wrong e-mail ID provided by the candidate or due to any other reason. Candidates should keep their e-mail ID and mobile number (filled in online application form) functional and valid till completion of recruitment process.

j. AEES may, at its discretion, hold re-examination as and when necessary, in case need arises for the same.

k. Books, mobile phones, tabs, calculator or any other electronic communication devices are not allowed inside the exam hall. Any violation of these instructions shall disqualify the candidate. Candidates are advised not to bring the prohibited items while coming for the CBT and Skill test/ interview as the facility of safe keeping of the same will not be available at the test centres.

l. Additional qualifications already acquired/ pursuing other than the qualification for eligibility shall also be mentioned in the online application form, failing which the said additional qualification will not be entered in the service records in the event of their selection.

m. Only those SC/ST/OBC candidates will be considered against SC/ST/OBC category whose caste has been listed in the Central Government list of SC/ST/OBC category and OBC shall be from non-creamy layer.

n. In case of candidates applying for the post of PRT, TGTs (except Computer Science, Art Education and Physical & Health Education- Male & Female) a valid CTET certificate issued on or before the closing date for submission of online application is essential.

o. Qualifying marks for Central Teacher's Eligibility Test (CTET) (Paper-1 and Paper-2) conducted by the CBSE will be 60% for candidates applying for Unreserved posts and 55% for candidates applying for posts reserved for SC/ST, OBC and PwBD.

p. Travelling Allowance: **Eligible outstation SC/ST candidates will be paid to-and-fro second-class train fare or ordinary State Transport bus fare by shortest route on production of proof of fare paid, as per Government rules, when called for Skill test/Interview only.** No TA is admissible to SC/ST candidates if they are already in the service of Central/State Government Corporations, Public Undertakings, Autonomous Bodies, Local Government institutions and Panchayats.

q. Candidates should be willing to work anywhere in India wherever AEES schools are located. All candidates shall be required to give their order of preference of posting in the application form.

r. Selected candidates will initially be on probation for a period of two years, which can be extended at the discretion of the Competent Authority. During the probation period, services of probationer can be terminated at any time without assigning any reason thereof.

s. Qualifications acquired by the candidates should be strictly in accordance with the notified / prescribed qualifications only. Wherever grades have been given, the position of the mark-sheets showing equivalent percentage of marks should be produced at the time of interview/skill test.

t. The candidates having Equivalent degree/ qualification will have to submit the necessary Documents/ Certificates (Order/ Letter with Number & Date) issued by the Board/University or by the Competent Authority, in support of the same, failing which his/her application shall be rejected. It may be noted by the candidates that Equivalency will not be allowed in case it is not mentioned in the prescribed Essential Qualification for any category of post in the Notice.

u. No candidate will be permitted to appear in the CBT without proper Admit Card and valid ID proof. The candidates should note that their admission to CBT/ Skill test/interview will be purely provisional based on the information given by them in the online application form. This will be subject to verification of all the eligibility conditions with reference to original documents as specified in the Recruitment notice. Candidature of an applicant is liable to be rejected at any stage of recruitment process or even after joining, if any information provided by the candidate during the entire process of recruitment / selection is found to be false or not in conformity with the eligibility criteria at any stage.

v. Rough work/ all calculations/ writing work are to be done only in the rough sheets provided at the centres in the examination Room/Hall and on completion of the test, candidates must hand over the rough sheets to the invigilator on duty in the Room/Hall.

w. In case of any discrepancy in the context of text of this recruitment notice in Hindi and English language,the English version of the recruitment notice will prevail.

x. The list of screened-in candidates for the CBT and list of candidates shortlisted for Skill test/interview will be displayed on Online Application Portal of AEES (https://aees.onlineregistrationforms.com).

y. In case of any difficulty faced by the candidate while filling the online application form, he/she may **contact: 18005691325** or candidate may raise query using the “Raise Query” tab available inside the login on the registration portal. All the candidates are advised to visit the AEES Online Application portal regularly to get the updates.

z. Answers marked by the candidates, Online Application and other related records will be preserved upto a period of **six months only**, from the date of declaration of select list, and thereafter, these shall stand destroyed.

15. UNFAIR MEANS AND ITS CONSEQUENCES:

a) Definition of Unfair Means

Unfair Means practice includes, but is not limited to the following:

(i) At the time of CBT examination, if a candidate is found guilty of using unfair means or impersonating or misbehaving in the examination hall, wherever applicable, or bringing outside influence on the examination process or resorting to any other Unfair Means in connection with his/her candidature for the selection;

(ii) Candidates obtaining support for his/her candidature by any other means will be liable to criminal prosecution and disqualified from the examination either permanently or for a specified period from any examination or selection in AEES.

(iii) If it is found at any stage that any candidate has furnished any false information/ particulars with regard to his/her citizenship, qualification, category/caste/PwBD category and experience in the Application Form or in any document and/or misrepresented/ suppressed any material information in the application form, for securing appointment in the AEES, his/her service will be terminated forthwith at any stage in service i.e. during probation period or after confirmation of the service in the AEES, without assigning any reason thereof.

(iv) Canvassing in any form will be treated as disqualification.

(v) Using someone else to write examination (impersonation) or copying;

(vi) Breaching examination rules or any direction issued by GoI in connection with examination from time to time;

(vii) Assisting other candidate to engage in malpractices, giving or receiving assistance directly or indirectly of any kind or attempting to do so;

(viii) Threatening/ intimidating/ contacting or communicating or trying to do so with any person or any of the candidates, during the examination time in the Examination Centre.

(ix) Forceful entry/exit from Examination Centre/Hall, Creating obstacles in smooth and fair conduct of examination.

(x) Being in possession of any item or article which has been prohibited or not relevant to the examination in the paper concerned;

(xi) Use or attempting to use of any electronic device (Mobile Phone/Earphone/ Microphone/Pager, Calculator, DocuPen, Slide Rules, Log Tables, Camera, Tape Recorder, Electronic Watches with facilities of calculator, any metallic item or electronic gadgets/ devices etc.) after entering in the Examination Centre;

(xii) Affixing/uploading of wrong/ morphed/ blank photographs/ signatures on the Application Form /Admit Card/Proforma;

(xiii) Manipulation and fabrication of online documents viz. Admit Card, Self-Declaration, etc.;

(xiv) Any other malpractices declared as Unfair Means by the AEES.

(xv) If it is found at any time in future that the candidate has used/uploaded the photograph, signature and certificate(s) of someone else in his/her Application Form/Admit Card or he/she has tampered his/her Admit Card, these acts of the candidate shall be treated as Unfair Means practices on his/her part and he/she shall be proceeded with necessary actions under the applicable provisions.

(xvi) Creating disturbance in smooth conduct of the examination at examination centre/venue.

b) Consequences:

If a candidate indulges in any of the above practice during / before / after the CBT, he/she shall be deemed to have used unfair means and shall be disqualified for this examination.

The candidate shall also be liable for criminal prosecution action and/or any other action as deemed fit under relevant provisions. The result of the candidate(s) who indulge in Unfair means will not be declared.

16. Finality of the decision of AEES:

The decision of AEES in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications, providing false information, mode of selection, conduct of CBT and Skill

test/interview(s), allotment of CBT centres and preparation of merit list & centre of posting, debarment for indulging in malpractices will be final and binding on the candidates and no enquiry/correspondence will be entertained in this regard.

The mode & criteria of selection and eligibility conditions of the applicants for interview/Personal Interaction to the notified posts shall be final and binding. However, AEES may change the mode and /or criteria at any stage of selection, whichever so, for all the notified posts. No correspondence will be entertained in this regard.

Any dispute with regard to this recruitment will be subject to the **Courts having jurisdiction in Mumbai only**.

17. Enclosures and prescribed certificates formats:

PROFORMA -I (Format of certificate to be produced by Other Backward Classes applying for appointment to posts under the Government of India)

PROFORMA -IA [Form of declaration to be submitted by the OBC candidate (in addition to the Community Certificate)]

PROFORMA -II (Format of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under Government of India)

PROFORMA -III (Income & Asset certificate to be produced by Economically Weaker Sections)

PROFORMA -IV (Form of certificate to be submitted by Ex-Servicemen for seeking age relaxation/appointment against vacancies reserved for Ex-Servicemen)

PROFORMA -IV-A (Declaration to be submitted by Ex-Servicemen candidates regarding Civil Employment by availing Ex-Servicemen Quota)

PROFORMA -V-A [Certificate of Disability- (Form- V- In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)]

PROFORMA -V-B [Certificate of Disability- (Form VI- In cases of Multiple Disabilities)]

PROFORMA -V-C [Certificate of Disability- Form VII – In cases other than those mentioned in Forms V and VI)]

PROFORMA -V-D (Certificate regarding physical limitation in an examinee to write)

PROFORMA -V-E – [Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e., persons having less than 40% disability and having difficulty in writing]

PROFORMA -V-F (Letter of undertaking for using scribe)

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था
ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY
(भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय)
(An Autonomous Body under Department of Atomic Energy, Govt. of India)
केन्द्रीय कार्यालय, प.ऊ.कें.वि.-6, पश्चिमी क्षेत्र, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.
Central Office, AECS-6, Western Sector, Anushaktinagar, Mumbai-400094.
वेबसाइट / website : aees.gov.in / ईमेल आईडी/email id : pers-conf@aees.gov.in

भर्ती अधिसूचना 01/2026

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था (प.ऊ.शि.सं.), भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सहायता प्राप्त संस्था है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा यह 15 केंद्रों में स्थित कुल 30 विद्यालयों का संचालन करती है। ये केंद्र अणुशक्तिनगर (मुंबई, महाराष्ट्र), तारापुर (महाराष्ट्र), कैगा (कर्नाटक), कुडनकुलम (तमिलनाडु), कलपक्कम/अनुपुरम (तमिलनाडु), मैसूरु (कर्नाटक), हैदराबाद (तेलंगाना), ऑसकॉम (ओडिशा), जादूगोड़ा/नरवापहाड़/तुरामडीह (झारखंड), मनुगुरु (तेलंगाना), नरौरा (उत्तर प्रदेश), रावतभाटा (राजस्थान), इंदौर (मध्य प्रदेश), काकरापार (गुजरात) तथा पझयाकयाल (तमिलनाडु) में स्थित हैं। परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के विद्यालय सह-शिक्षा वाले विद्यालय हैं, जिनमें बालवाटिका से कक्षा XII तक अंग्रेज़ी माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के अनुरूप विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा उनमें नैतिक मूल्यों के संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था अपने विद्यालयों में विभिन्न शिक्षण पदों पर सीधी भर्ती हेतु पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस भर्ती से संबंधित प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (https://aees.onlineregistrationforms.com) का ही अवलोकन करें।

चयनित अभ्यर्थियों की प्रारंभिक नियुक्ति पर उन्हें भारत में कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है। स्टेशन/क्षेत्र में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

1. प.ऊ.शि.सं. में पद-वार एवं श्रेणी-वार अनुमानित रिक्तियों का विवरण: (रिक्तियाँ अनुमानित हैं तथा घट या बढ़ सकती हैं:)

क्र. सं.	पद	समूह	विषय	रिक्तियों की संख्या										वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर
				वर्ग					कुल	PwBD				
				SC	ST	OBC (NCL)	EWS	UR		LD	VI	HI	Others	
1	प्रधानाचार्य	A	-	0	0	1	1	2	4					लेवल 12
2	उप-प्रधानाचार्य	A	-	0	0	0	0	1	1					लेवल 10
3	स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी)	B	अंग्रेजी	1	1	0	0	2	4	1				लेवल 8
4			गणित	1	1	0	0	2	4					
5			जीवविज्ञान	0	0	1	0	1	2					
6			रसायन विज्ञान	0	0	1	0	2	3					
7			भौतिकी	1	0	0	0	1	2	1				
8			संगणक विज्ञान	0	1	0	0	2	3					
9			वाणिज्य	0	1	2	0	3	6					
10			अर्थशास्त्र	0	0	0	1	1	2					
11			इतिहास	0	0	0	0	1	1					
12	प्रशिक्षित स्नातक	B	अंग्रेजी	3	2	2	1	6	14					

13	शिक्षक (टीजीटी)		सामाजिक अध्ययन	1	0	5	1	4	11	1				लेवल 7
14			हिंदी-संस्कृत	0	0	1	1	7	9					
15			गणित-भौतिकी	6	0	5	2	9	22	1				
16			रसायन विज्ञान-जीव विज्ञान	3	0	2	2	6	13	1				
17			संगणक विज्ञान	0	1	2	1	9	13	1				
18			शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा (बालक)	0	0	1	1	5	7					
19			शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा (बालिका)	0	0	1	1	3	5					
20			कला शिक्षण	0	0	1	1	5	7				2	
21			मराठी	0	0	0	0	1	1					
22	पुस्तकालयाध्यक्ष		-	1	1	2	2	7	13			1		
23	प्राथमिक शिक्षक (पीआरटी)	B	-	15	5	38	8	23	89	2				लेवल 6
24	प्राथमिक शिक्षक (पीआरटी)		संगीत	0	0	2	1	7	10					
25	बालवाटिका शिक्षक		-	1	3	1	1	2	8	1				
			कुल	**33**	**16**	**68**	**25**	**112**	**254**	**9**	**0**	**1**	**2**	

दिव्यांगजन (PwBD) कोटे के अंतर्गत नियुक्त अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/अनारक्षित (UR) की संबंधित आरक्षण श्रेणी की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

प्रयुक्त संक्षेप:

P&HE: शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, SC: अनुसूचित जाति, ST: अनुसूचित जनजाति, OBC: अन्य पिछड़ा वर्ग, NCL: गैर-क्रीमी लेयर, UR: अनारक्षित, EWS: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, PwBD: मानदंडित दिव्यांगता वाले व्यक्ति, LD: चलन-संबंधी दिव्यांगता, VI: दृष्टिबाधित, HI: श्रवणबाधित।

टिप्पणी: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (DEPwD) की अधिसूचना संख्या 38-16/2020-DD-III दिनांक 04 जनवरी 2021 और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, मानदंडित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (PwBD) के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। जिन पदों के लिए PwBD अभ्यर्थियों हेतु क्षैतिज आरक्षण निर्धारित किया गया है, उन पदों के लिए उपयुक्त मानी गई दिव्यांगताओं के प्रकार नीचे उल्लिखित हैं :

क्र.सं.	पद	कार्यात्मक अपेक्षाएँ	मानदंडित दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणियाँ				
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
			दृष्टिबाधित (VI)	श्रवणबाधित (HI)	चलन-संबंधी दिव्यांगता (LD)	Others: स्वलीनता, बौद्धिक दिव्यांगता (ID), विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (SLD) एवं मानसिक बीमारी (MI)	Others: बहु-दिव्यांगता (MD)
1	प्रधानाचार्य	S, ST, W, BN, CL, MF, RW, SE, H, C	-	D, HH	OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV, SD, SI	SLD, MI	(b) से (d) तक की श्रेणियों को सम्मिलित करने वाली

							बहु-दिव्यांगता (MD)
2	उप-प्रधानाचार्य	S, ST, W, BN, CL, MF, RW, SE, H, C	-	D, HH	OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV, SD, SI	SLD, MI	(b) से (d) तक की श्रेणियों को सम्मिलित करने वाली बहु-दिव्यांगता (MD)
3	स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी): (अंग्रेजी, गणित, जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र एवं इतिहास	S, ST, W, BN, CL, MF, RW, SE, H, C	-	D, HH	OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV, SD, SI	ASD (M), SLD, MI	(b) से (d) तक की श्रेणियों को सम्मिलित करने वाली बहु-दिव्यांगता (MD)
4	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी): (अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, हिंदी-संस्कृत, गणित-भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान-जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान एवं मराठी)	S, ST, W, BN, CL, MF, RW, SE, H, C	-	D, HH	OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV, SD, SI	ASD (M), SLD, MI	(b) से (d) तक की श्रेणियों को सम्मिलित करने वाली बहु-दिव्यांगता (MD)
5	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी): शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा (बालक/बालिका)	S, ST, W, BN, L, KC, JU, CRL, CL, PP, MF, RW, SE, H	-	D, HH	LC, Dw, AAV, SD, SI	ASD (M), SLD, MI	(b) से (d) तक की श्रेणियों को सम्मिलित करने वाली बहु-दिव्यांगता (MD)
6	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी): (कला शिक्षण)	S, ST, W, BN, L, CL, MF, RW, SE, H, C	LV	D, HH	OA, OL, OAL, Dw, AAV, SD, SI	ASD (M), ID, SLD, MI	(a) से (d) तक की श्रेणियों को सम्मिलित करने वाली बहु-दिव्यांगता (MD)

7	पुस्तकालयाध्यक्ष	S, ST, W, KC, CL, MF, RW, SE, H, C	-	D, HH	OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV, SD, SI	ASD (M), SLD, MI	(b) से (d) तक की श्रेणियों को सम्मिलित करने वाली बहु-दिव्यांगता (MD)
8	प्राथमिक शिक्षक	S, ST, W, BN, L, KC, JU, CRL, CL, RW, SE, H, C	-	HH	OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV, SD, SI	ASD (M), SLD, MI	(b) से (d) तक की श्रेणियों को सम्मिलित करने वाली बहु-दिव्यांगता (MD)
9	प्राथमिक शिक्षक (संगीत)	S, ST, W, BN, CL, MF, RW, H, C	B, LV	-	OL, Dw, AAV, SD, SI	SLD, MI	(a), (c) एवं (d) तक की श्रेणियों को सम्मिलित करने वाली बहु-दिव्यांगता (MD)
10	बालवाटिका शिक्षक	S, ST, W, BN, L, KC, JU, CRL, CL, RW, SE, H, C	-	HH	OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV, SD, SI	ASD (M), SLD, MI	(b) से (d) तक की श्रेणियों को सम्मिलित करने वाली बहु-दिव्यांगता (MD)

(कार्यात्मक अपेक्षाओं में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर): S= बैठना, ST= खड़े होना, W= चलना, BN= झुकना, L= भार उठाना, KC= घुटनों के बल बैठना एवं उकड़ूँ बैठना, JU= कूदना, CRL= रेंगना, CL= चढ़ना, PP= खींचना एवं धकेलना, MF= उँगलियों से वस्तुओं को पकड़ना एवं संचालित करना, RW= पढ़ना एवं लिखना, SE= देखना, H= सुनना, C= संचार करना।

श्रेणी के लिए प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर: B= दृष्टिहीन, LV= अल्पदृष्टि, D= बधिर, HH= कम सुनने वाला, OA= एक भुजा से दिव्यांगता, OL= एक पैर से दिव्यांगता, OAL= एक भुजा एवं एक पैर से दिव्यांगता, LC= कुष्ठ रोग से उपचारित, Dw= बौनापन, AAV= तेज़ाब हमले के पीड़ित, MDy= पेशीय दुर्विकास, ASD= ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार (M= हल्का), SD= रीढ़ की विकृति, SI= रीढ़ की चोट, ID= बौद्धिक दिव्यांगता, SLD= विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, MI= मानसिक बीमारी, MD= बहु-दिव्यांगता।

महत्त्वपूर्ण निर्देश:

क. दिव्यांगजन अभ्यर्थियों द्वारा पदों हेतु निर्धारित कार्यात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन:

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मानदंडित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (PwBD) की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को यह

सुनिश्चित करना होगा कि वे उन पदों के लिए निर्धारित कार्यात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं, जिनके लिए वे आवेदन करना चाहते हैं।

ख. कार्यात्मक अपेक्षाओं का सत्यापन: आवेदन करने से पूर्व, संबंधित PwBD अभ्यर्थियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे संबंधित पद हेतु निर्धारित कार्यात्मक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

ग. प्रमाण-पत्र संबंधी अनिवार्यता: कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के अंतिम चरण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। इस प्रमाण-पत्र में यह प्रमाणित होना चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किए गए पदों के लिए निर्धारित कार्यात्मक अपेक्षाएँ अभ्यर्थी द्वारा पूरी की जाती हैं।

घ. अनुपालन न करने का परिणाम: उपर्युक्त अपेक्षाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में संबंधित पदों के लिए अभ्यर्थी की पात्रता समाप्त हो सकती है। यह अन्य पात्रता शर्तों अथवा चयन मानदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू होगा।

2. सभी पदों के लिए अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यताएँ तथा वेतनमान एवं वेतन स्तर:

विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए आवश्यक एवं वांछनीय योग्यताओं, वेतनमान एवं वेतन स्तर, आयु सीमा, आयु सीमा में छूट, चयन की पद्धति तथा अन्य संबंधित विवरण नीचे दिए गए हैं।

क. प्रधानाचार्य के लिए

वेतनमान: वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 (₹78800-₹209200)
अधिकतम आयु सीमा: न्यूनतम 35 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष।

आवश्यक योग्यताएं:

(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ परास्नातक उपाधि।

(ii) एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ शिक्षा स्नातक (बी.एड.) उपाधि।

अथवा

एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड.।

अथवा

एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से बी.एड. घटक (50% अंक) सहित कम से कम 50% अंकों के साथ चार वर्षीय एकीकृत उपाधि।

(iii) केंद्र/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में वेतन स्तर 12 (₹78800 से ₹209200) पर प्राचार्य के रूप में कार्यरत हों;

अथवा

केंद्र/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में वेतन स्तर 10 (₹56100 से ₹177500) पर 3 वर्षों तक उप-प्राचार्य के रूप में कार्यरत हों।

अथवा

केंद्र/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में वेतन स्तर 8 (₹47600 से ₹151100) पर PGT/व्याख्याता के रूप में 12 वर्षों की नियमित सेवा।

अथवा

केंद्र/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में पीजीटी (7वें CPC के अनुसार प्रवेश स्तर 8) और उप-प्राचार्य (7वें CPC के अनुसार प्रवेश स्तर 10) के रूप में संयुक्त 12 वर्षों की सेवा;

(iv) कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान।

वांछनीय:

(i) अंग्रेजी और हिंदी/भारतीय भाषा का कार्यसाधक ज्ञान।

ख. उप-प्राधानाचार्य के लिए

वेतनमान: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (₹56100- ₹177500)

आयु सीमा: न्यूनतम – 35 वर्ष और अधिकतम – 45 वर्ष

आवश्यक योग्यताएं:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ परास्नातक उपाधि।

(ii) एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ शिक्षा स्नातक (बी.एड.) उपाधि।

अथवा

किसी एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड.

अथवा

एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था से बी.एड. घटक (50% अंक) सहित कम से कम 50% अंकों के साथ चार वर्षीय एकीकृत उपाधि।

(iii) केंद्र/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में वेतन स्तर 10 (₹56100 से ₹177500) पर उप-प्राचार्य के रूप में कार्यरत हों।

अथवा

केंद्र/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में वेतन स्तर 8 (₹47600 से ₹151100) पर कम से कम 06 वर्षों तक पीजीटी या व्याख्याता के रूप में कार्यरत हों।

(iv) कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान।

वांछनीय:

(i) अंग्रेजी और हिंदी/भारतीय भाषा का कार्यसाधक ज्ञान।

ग. स्नातकोत्तर शिक्षकों (पीजीटी) के लिए

वेतनमान: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (₹47600-₹151100)

अधिकता आयु सीमा: 40 वर्ष से अधिक नहीं

आवश्यक योग्यताएं:

(क) एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में बी.एड. घटक सहित कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ एकीकृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ परास्नातक उपाधि।

और

(ख) एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ बी.एड. उपाधि।

अथवा

एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड.

अथवा

एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से बी.एड. घटक सहित कम से कम 50% अंकों के साथ चार वर्षीय एकीकृत उपाधि।

पीजीटी के पद के अनुसार स्नातकोत्तर उपाधि में विषयों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	पद	परास्नातक उपाधि में विषय
(i)	पीजीटी (अंग्रेजी)	अंग्रेजी
(ii)	पीजीटी (गणित)	संबंधित विषय या संबंधित विषय की किसी विशेषज्ञता में। शर्त यह है कि अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर भी संबंधित विषय का अध्ययन किया हो।
(iii)	पीजीटी (जीव विज्ञान)	जैविक विज्ञान/जीव विज्ञान या संबंधित विषय की किसी विशेषज्ञता में। शर्त यह है कि अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर भी संबंधित विषय का अध्ययन किया हो।

क्र.सं.	पद	परास्नातक उपाधि में विषय
(iv)	पीजीटी (रसायन विज्ञान)	संबंधित विषय या संबंधित विषय की किसी विशेषज्ञता में। शर्त यह है कि अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर भी संबंधित विषय का अध्ययन किया हो।
(v)	पीजीटी (भौतिक विज्ञान)	संबंधित विषय या संबंधित विषय की किसी विशेषज्ञता में। शर्त यह है कि अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर भी संबंधित विषय का अध्ययन किया हो।
(vi)	पीजीटी (वाणिज्य)	वाणिज्य में परास्नातक उपाधि। अनुप्रयुक्त/व्यावसायिक अर्थशास्त्र में एम.कॉम. उपाधिधारक पात्र नहीं होंगे।
(vii)	पीजीटी (अर्थशास्त्र)	संबंधित विषय या संबंधित विषय के किसी विशेषज्ञता में। शर्त यह है कि अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर भी संबंधित विषय का अध्ययन किया हो।
(viii)	पीजीटी (इतिहास)	संबंधित विषय या संबंधित विषय के किसी विशेषज्ञता में। शर्त यह है कि अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर भी संबंधित विषय का अध्ययन किया हो।

वांछनीय योग्यताएं:

(i) मान्यता प्राप्त संस्थाओं में संबंधित विषय में टीजीटी के रूप में अनुभव।

(ii) किसी विद्यालय में कार्य करने का अनुभव।

(iii) कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान।

(iv) अंग्रेजी और हिंदी/भारतीय भाषा का कार्यसाधक ज्ञान।

घ. स्नातकोत्तर शिक्षक (कंप्यूटर विज्ञान) के लिए:

वेतनमान: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (₹47600-₹151100)

अधिकतम आयु सीमा: 40 वर्ष से अधिक नहीं

आवश्यक योग्यता:

(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ एम.एस.सी. (कंप्यूटर विज्ञान/आईटी)/एमसीए।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ एम.ई. या एम.टेक (कंप्यूटर विज्ञान/आईटी)।

और

(ख) एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ B.Ed. उपाधि।

अथवा

एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ तीन वर्षीय एकीकृत B बी.एड.-एम.एड.

अथवा

एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से बी.एड. घटक सहित कम से कम 50% अंकों के साथ चार वर्षीय एकीकृत उपाधि।

वांछनीय योग्यताएं:

(i) मान्यता प्राप्त संस्थाओं में संबंधित विषय में टीजीटी के रूप में अनुभव।

(ii) किसी विद्यालय में कार्य करने का अनुभव।

(iii) अंग्रेजी और हिंदी/भारतीय भाषा का कार्यसाधक ज्ञान।

ङ. प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक – (अंग्रेजी), (हिंदी-संस्कृत) और (मराठी) के लिए

वेतनमान: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (₹44900-₹142400)

ऊपरी आयु सीमा: 35 वर्ष से अधिक नहीं

आवश्यक योग्यता –

(क) एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से बी.एड. घटक सहित संबंधित विषय(यों) में तथा कुल में कम से कम 50% अंकों के साथ चार वर्षीय एकीकृत उपाधि पाठ्यक्रम।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, विषयों के संयोजन तथा कुल में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक/ऑनर्स उपाधि।

और

(ख) एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ बी.एड. उपाधि।

अथवा

एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड.

अथवा

**पुनर्वास परिषद भारत (RCI) से कम से कम 50% अंकों के साथ 1 वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)।

अथवा

संबंधित विषय/संबंधित विषय में किसी विशेषज्ञता में न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर, बशर्ते कि अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित विषय(यों) का अध्ययन किया हो और एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड. किया हो।

(ग) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (पेपर-II) उत्तीर्ण।

****प्रशिक्षण जिसे लेना होगा –** बी.एड. (विशेष शिक्षा) योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्ति के बाद एनसीटीई मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 माह का विशेष कार्यक्रम करना होगा।

पदवार भाषाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पद	योग्यता
1	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (अंग्रेजी)	पाठ्यक्रम के कम से कम 03 वर्षों/06 सेमेस्टर में वैकल्पिक/मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन।
2	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (हिंदी-संस्कृत)	पाठ्यक्रम के कम से कम 03 वर्षों/06 सेमेस्टर में वैकल्पिक/मुख्य विषय के रूप में हिंदी/संस्कृत का अध्ययन।
3	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (मराठी)	पाठ्यक्रम के कम से कम 03 वर्षों/06 सेमेस्टर में वैकल्पिक/मुख्य विषय के रूप में मराठी का अध्ययन।

वांछनीय योग्यता:

(i) किसी विद्यालय में कार्य करने का अनुभव।
(ii) कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान।
(iii) अंग्रेजी और हिंदी/भारतीय भाषा का कार्यसाधक ज्ञान।

च. प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक – (गणित-भौतिकी), (रसायन-जीवविज्ञान) और (सामाजिक अध्ययन) के लिए:
वेतनमान: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (₹44900-₹142400)
अधिकतम आयु सीमा: 35 वर्ष से अधिक नहीं

आवश्यक योग्यता –

(क) एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से बी.एड. घटक सहित संबंधित विषय तथा कुल में कम से कम 50% अंकों के साथ चार वर्षीय एकीकृत उपाधि पाठ्यक्रम।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, विषयों के संयोजन तथा कुल में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक/ऑनर्स उपाधि।

और

एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ बी.एड. उपाधि।

अथवा

एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड.।

अथवा

**पुनर्वास परिषद भारत (RCI) से कम से कम 50% अंकों के साथ एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)।

अथवा

संबंधित विषय/संबंधित विषय में किसी विशेषज्ञता में न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर, बशर्ते कि अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित विषय(यों) का अध्ययन किया हो और एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड.किया हो।

(ख) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (पेपर-II) उत्तीर्ण।

****प्रशिक्षण जिसे लेना होगा –** बी.एड. (विशेष शिक्षा) योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्ति के बाद एनसीटीई मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 माह का विशेष कार्यक्रम करना होगा।

टिप्पणी: विषयों के संयोजन में पदवार ऐच्छिक विषयों का विवरण निम्नानुसार है:

<table>
<tr><td>1</td><td>प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (गणित-भौतिकी)</td><td>(i) अभ्यर्थियों ने निम्नलिखित का अध्ययन किया हो:
• गणित को पाठ्यक्रम के कम से कम 03 वर्षों/06 सेमेस्टर में वैकल्पिक/मुख्य विषय के रूप में।
• भौतिकी को कम से कम 01 वर्ष/किन्हीं 02 सेमेस्टर में।
• रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी में से एक को कम से कम 01 वर्ष/किन्हीं 02 सेमेस्टर में। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीएसई) के अंतर्गत उपरोक्त विषयों के साथ अध्ययन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र हैं।
(ii) भौतिकी या रसायन विज्ञान में बी.एस.सी. (ऑनर्स) वाले अभ्यर्थी टीजीटी (गणित-भौतिकी) के पद के लिए पात्र नहीं हैं।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (रसायन-जीवविज्ञान)</td><td>अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम के कम से कम 03 वर्षों/06 सेमेस्टर में ऑनर्स/मुख्य विषय के रूप में जीव विज्ञान/जीव विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो और पाठ्यक्रम के कम से कम एक वर्ष या किन्हीं 2 सेमेस्टर में निम्नलिखित विषयों के संयोजन का अध्ययन किया हो:
<table><tr><td>मुख्य विषय</td><td>सहायक विषय</td></tr><tr><td>जीव विज्ञान/जीवन विज्ञान</td><td>(i) रसायन विज्ञान (ii) वनस्पति/प्राणी विज्ञान</td></tr><tr><td>प्राणी विज्ञान</td><td>(i) रसायन विज्ञान (ii) प्राणी विज्ञान</td></tr><tr><td>वनस्पति विज्ञान</td><td>(i) रसायन विज्ञान (ii) वनस्पति विज्ञान</td></tr></table>सीबीएसई के अंतर्गत उपरोक्त विषय के साथ अध्ययन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र हैं।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (सामाजिक अध्ययन)</td><td>स्नातक के दौरान इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में से किन्हीं दो विषयों का अध्ययन किया हो, जिनमें से एक इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए, पाठ्यक्रम के कम से कम 03 वर्षों/06 सेमेस्टर में वैकल्पिक/मुख्य विषय के रूप में और दूसरा विषय कम से कम एक वर्ष/किन्हीं दो सेमेस्टर में। सीबीएसई के अंतर्गत उपरोक्त विषयों के साथ अध्ययन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र हैं।</td></tr>
</table>

वांछनीय योग्यता:

(i) किसी विद्यालय में कार्य करने का अनुभव।
(ii) कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान।
(iii) अंग्रेजी और हिंदी/भारतीय भाषा का कार्यसाधक ज्ञान।

छ. प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक – (कंप्यूटर विज्ञान) के लिए:

वेतनमान: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (₹44900-₹142400)
अधिकतम आयु सीमा: 35 वर्ष से अधिक नहीं
आवश्यक योग्यता –

(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% कुल अंकों के साथ बी.एससी. (कंप्यूटर विज्ञान)/बी.एससी. (आईटी)/बीसीए या समकक्ष जिसके आधार पर विश्वविद्यालय उपाधि प्रदान करता है, या समकक्ष सीजीपीए (संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था के मानदंडों के अनुसार प्रतिशत में रूपांतरण की विधि के अनुसार)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50% कुल अंकों के साथ बी.ई. या बी.टेक. (कंप्यूटर विज्ञान/आईटी/कंप्यूटर इंजीनियरिंग) या समकक्ष उपाधि जिसके आधार पर विश्वविद्यालय उपाधि प्रदान करता है, या समकक्ष सीजीपीए।

अथवा

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार के 'DOEACC' से 'A' स्तर, कम से कम 50% कुल अंकों के साथ जिसके आधार पर संस्था/विश्वविद्यालय उपाधि प्रदान करता है, या समकक्ष सीजीपीए, और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण।

(ख) एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ बी.एड. उपाधि।

वांछनीय:

(i) अंग्रेजी और हिंदी/भारतीय भाषा का कार्यसाधक ज्ञान।
(ii) किसी विद्यालय में कार्य करने का अनुभव।

ज. प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक – (शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा) (शारीरिक शिक्षा – पुरुष और शारीरिक शिक्षा – महिला) के लिए:

वेतनमान: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (₹44900-₹142400)
अधिकतम आयु सीमा: 35 वर्ष से अधिक नहीं

आवश्यक योग्यता –

एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शारीरिक शिक्षा/शारीरिक शिक्षा और खेल में चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम/स्नातक उपाधि कम से कम 50% अंकों के साथ।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से बी.पी.एड. (शारीरिक शिक्षा स्नातक) की उपाधि, जिसमें स्नातक एवं बी.पी.एड. दोनों में पृथक-पृथक न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

वांछनीय:

(i) भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI)/संबंधित महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी खेल/गेम में कम से कम राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व।
(ii) अंग्रेजी और हिंदी/भारतीय भाषा का कार्यसाधक ज्ञान।
(iii) किसी विद्यालय में कार्य करने का अनुभव।
(iv) राष्ट्रीय खेल संस्थान से डिप्लोमा।

झ. प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक – (कला शिक्षा) के लिए:

वेतनमान: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (₹44900-₹142400)

अधिकतम आयु सीमा: 35 वर्ष से अधिक नहीं

आवश्यक योग्यता –

(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ चित्रकला/मूर्तिकला/ग्राफिक कला/ललित कला में स्नातक उपाधि, बशर्ते कि अभ्यर्थियों ने उपाधि के सभी वर्षों में मुख्य विषय के रूप में चित्रकला का अध्ययन किया हो।

(ख) एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ बी.एड. उपाधि।

वांछनीय:

(i) अंग्रेजी और हिंदी/भारतीय भाषा का कार्यसाधक ज्ञान।

(ii) किसी विद्यालय में कार्य करने का अनुभव।

(iii) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।

ञ. पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए:
वेतनमान: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (₹44900-₹142400)
अधिकतम आयु सीमा: 35 वर्ष से अधिक नहीं

आवश्यक योग्यता –
(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि।

(ख) कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान।

वांछनीय:
(i) अंग्रेजी और हिंदी/भारतीय भाषा का कार्यसाधक ज्ञान।

ट. प्राथमिक शिक्षक के लिए:
वेतनमान: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹35400-₹112400)
अधिकतम आयु सीमा: 30 वर्ष से अधिक नहीं

आवश्यक योग्यता:
(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी/हायर सेकेंडरी/इंटरमीडिएट (10+2) और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा (किसी भी नाम से जाना जाए)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी/हायर सेकेंडरी/इंटरमीडिएट (कक्षा XII) और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.)।

अथवा

**पुनर्वास परिषद भारत (RCI) से कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी/हायर सेकेंडरी/इंटरमीडिएट/कक्षा-XII और 2 वर्षीय शिक्षा डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)।
(ख) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर-I उत्तीर्ण।

****प्रशिक्षण जिसे लेना होगा –** डी.एल.एड (विशेष शिक्षा) योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्ति के बाद एनसीटीई मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 माह का विशेष कार्यक्रम करना होगा।

वांछनीय:
(i) कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान।
(ii) अंग्रेजी और हिंदी/भारतीय भाषा का कार्यसाधक ज्ञान।

ठ. प्राथमिक शिक्षक (संगीत) के लिए:
वेतनमान: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹35400-₹112400)
अधिकतम आयु सीमा: 30 वर्ष से अधिक नहीं

आवश्यक योग्यता:
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी/हायर सेकेंडरी/इंटरमीडिएट (कक्षा XII)।

और

किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से संगीत/प्रदर्शन कला में स्नातक उपाधि, बशर्ते कि उपाधि के सभी वर्षों में मुख्य विषय के रूप में संगीत विषय का अध्ययन किया हो।

नोट: संगीत में डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी इस पद के लिए पात्र नहीं हैं।

वांछनीय:
(i) कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान।
(ii) अंग्रेजी और हिंदी/भारतीय भाषा का कार्यसाधक ज्ञान।

ड. बालवाटिका शिक्षक के लिए:
वेतनमान: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹35400- ₹112400)
अधिकतम आयु सीमा: 30 वर्ष से अधिक नहीं

आवश्यक योग्यता:
(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से +2 स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी/हायर सेकेंडरी/इंटरमीडिएट (10+2)।
(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) मान्यता प्राप्त संस्था से नर्सरी शिक्षक शिक्षा/पूर्व-विद्यालय शिक्षा/प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा डिप्लोमा (डी.ई.सी.एड.) जो कम से कम दो वर्ष की अवधि का हो, या बी.एड. (नर्सरी)।

वांछनीय:
(i) कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान।
(ii) अंग्रेजी और हिंदी/भारतीय भाषा का कार्यसाधक ज्ञान।

3. आयु में छूट

अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार होगी:

क्र.सं.	व्यक्तियों की श्रेणी	आयु में छूट/रियायत की सीमा
(a)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
(b)	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	3 वर्ष
(c)	महिलाएं (सभी श्रेणी) केवल पीजीटी, टीजीटी पदों, पुस्तकालयाध्यक्ष, पीआरटी और बालवाटिका शिक्षक के लिए आवेदन कर रही हों।	10 वर्ष
(d)	नियमित प.ऊ.शि.सं. कर्मचारी	सामान्य के लिए 05 वर्ष OBC के लिए 08 वर्ष SC/ST के लिए 10 वर्ष
(e)	केंद्र सरकार में 3 वर्षों की निरंतर सेवा वाले अभ्यर्थी, बशर्ते कि पद समान या संबद्ध संवर्गों में हों (इस पैरा के अंतर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले आवेदक को अपने नियोक्ता से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिससे यह प्रमाणित हो कि वह विज्ञापन की तिथि पर सरकारी सेवक है) भारत सराकर के नियमों के अनुसार।	सामान्य के लिए 05 वर्ष OBC के लिए 08 वर्ष SC/ST के लिए 10 वर्ष
(f)	बेंचमार्क दिव्यांगजन (PwBD) (i) SC/ST (ii) OBC (NCL) (iii) सामान्य प.ऊ.शि.सं. कर्मचारियों को अतिरिक्त 5 वर्ष की आयु छूट। दिव्यांग महिला के लिए धारा (सी) लागू नहीं होगी।	 15 वर्ष 13 वर्ष 10 वर्ष
(g)	ग्रुप-A पदों के लिए भूतपूर्व सैनिक (सामान्य) भूतपूर्व सैनिक (OBC)	 05 वर्ष

क्र.सं.	व्यक्तियों की श्रेणी	आयु में छूट/रियायत की सीमा
	भूतपूर्व सैनिक (SC/ST)	08 वर्ष (03 वर्ष + 05 वर्ष) 10 वर्ष (05 वर्ष + 05 वर्ष)
(h)	ग्रुप-B पदों के लिए (आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से की गई सैन्य सेवा की कटौती के बाद।) भूतपूर्व सैनिक (सामान्य) भूतपूर्व सैनिक (OBC) भूतपूर्व सैनिक (SC/ST)	 03 वर्ष 06 वर्ष 08 वर्ष

<u>नोट:</u>

क) अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

ख) उपर्युक्त सभी रियायतें समवर्ती होंगी, अर्थात् यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक रियायतों के लिए पात्र है, तो उसे केवल अधिकतम अनुमेय सीमा वाली एक ही रियायत प्रदान की जाएगी।

ग) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट केवल उन्हीं रिक्तियों के संबंध में अनुमन्य होगी, जो इन श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं।

4. पात्रता की शर्तें, आरक्षण संबंधी लाभ एवं दस्तावेज़ी आवश्यकताएँ

4.1. सभी अभ्यर्थियों की प्रत्येक दृष्टि से पात्रता (अर्थात् आयु सीमा, अनिवार्य योग्यता एवं अन्य मानदंड आदि) निर्धारित करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी। यदि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि में संशोधन किया जाता है, तो भी अभ्यर्थियों की प्रत्येक दृष्टि से पात्रता निर्धारित करने की तिथि अधिसूचना में उल्लिखित प्रारंभिक तिथि ही रहेगी। आवेदन करने से पूर्व, अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

4.2. 'क्रीमी लेयर' से संबंधित OBC के अभ्यर्थी, OBC श्रेणी के लिए अनुमन्य रियायतों के पात्र नहीं होंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी अनारक्षित (General) दर्शानी होगी। केवल वे OBC श्रेणियाँ, जो केंद्रीय सूची के अनुसार केंद्र सरकार के अंतर्गत नियुक्ति के लिए लागू हैं, OBC (गैर-क्रीमी लेयर) के अंतर्गत मान्य होंगी। OBC (NCL) श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने दावे के समर्थन में, नियमानुसार निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रति प्रारूप–I एवं प्रारूप–IA (प.ऊ.शि.सं. की वेबसाइट पर प्रकाशित विस्तृत अधिसूचना में उपलब्ध) प्रस्तुत करनी होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की तिथि 01.04.2026 से प.ऊ.शि.सं. में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के मध्य होनी चाहिए।

4.3. अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की किसी श्रेणी से संबंधित होने का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने दावे के समर्थन में, नियमानुसार निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रति प्रारूप–II (प.ऊ.शि.सं. की वेबसाइट पर प्रकाशित विस्तृत अधिसूचना में उपलब्ध) प्रस्तुत करनी होगी। अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक, ऐसे लाभ प्राप्त करने के लिए नियमों/अधिसूचना में निर्धारित प्रारूप में अपने दावे के समर्थन में सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा न होने पर, भर्ती हेतु आयोजित सीबीटी उत्तीर्ण करने के बावजूद, उनकी अभ्यर्थिता सीधे निरस्त कर दी जाएगी।

4.4. अपने आवेदन-पत्र में PwBD की किसी भी श्रेणी का उल्लेख करने वाले अभ्यर्थियों को, प.ऊ.शि.सं. द्वारा जब भी अपेक्षित हो तथा परीक्षा केंद्र पर, यथासंभव अपना विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र (UDID कार्ड) प्रस्तुत करना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक UDID कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें बाद के चरण में किसी भी प्रकार की कठिनाई से बचने के लिए तत्काल इसके लिए आवेदन करना चाहिए।

4.5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण:

(क) ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) के लिए आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय ₹8 लाख (रुपये आठ लाख मात्र) से कम है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण के लाभ हेतु पात्र होंगे। आय में आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्रोतों, अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से प्राप्त आय को भी शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे अभ्यर्थियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी परिसंपत्ति होने की स्थिति में, पारिवारिक आय चाहे जो भी हो, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के रूप में चिह्नित किए जाने से अपवर्जित किया जाएगा:

(i) 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि।
(ii) 1,000 वर्ग फुट या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट।
(iii) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय भूखंड।
(iv) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय भूखंड।

(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि अथवा संपत्ति के स्वामित्व संबंधी मानदंड लागू करते समय, परिवार के विभिन्न स्थानों अथवा अलग-अलग क्षेत्रों/शहरों में स्थित संपत्तियों को एक साथ जोड़कर माना जाएगा। (इस प्रयोजन के लिए, "परिवार" में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति, उसके माता-पिता, 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल होंगे।)
(ग) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र ही अभ्यर्थी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित होने के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यह प्रमाण-पत्र प्रारूप–III (प.ऊ.शि.सं. की वेबसाइट पर प्रकाशित विस्तृत अधिसूचना में उपलब्ध) के अनुसार होना चाहिए।

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त; अथवा
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट; अथवा
(iii) तहसीलदार के पद से निम्न स्तर का न होने वाला राजस्व अधिकारी; अथवा
(iv) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी, जहाँ अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

(घ) EWS के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास इस विज्ञापन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को वैध आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। यह प्रमाण-पत्र उस वर्ष के लिए वैध होना चाहिए, जिसमें यह भर्ती अधिसूचना प्रकाशित की गई है। तदनुसार, इन अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के चरण में वैध आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4.6. PRT एवं TGT के पदों (संगीत, कला शिक्षा, पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा/शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा को छोड़कर) के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पूर्व जारी वैध CTET प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।
4.7. भूतपूर्व सैनिक होने का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने दावे के समर्थन में, नियमानुसार निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रति प्रारूप–IV एवं प्रारूप–IV A के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी।
4.8. सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs)/सरकारी स्वायत्त संस्थानों/केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों में कार्यरत अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व अपने मूल संगठन को सूचित करने की सलाह दी जाती है। यदि उनका संबंधित पद के लिए चयन होता है, तो उन्हें कौशल परीक्षा/साक्षात्कार से पूर्व दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपने वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त मूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें सतर्कता संबंधी अनापत्ति (Vigilance Clearance) का भी उल्लेख हो। ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
4.9. अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के समय स्थानीय पुलिस थाने द्वारा जारी नवीनतम पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र (PVC) प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से छह माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जो अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हों, उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में PVC प्राप्त करने हेतु किए गए आवेदन की विधिवत पावती प्रस्तुत करनी होगी। यह पावती साक्षात्कार/कौशल परीक्षा की तिथि से छह माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार PVC अथवा PVC हेतु आवेदन की पावती के बिना उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान

(क) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(r) के अंतर्गत परिभाषित मानदंडित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (PwBD) की श्रेणी से संबंधित होने का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने दावे के समर्थन में, नियमानुसार निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रति प्रारूप–V-A/प्रारूप–V-B/प्रारूप–V-C तथा विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र (UDID कार्ड) निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

(ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(r) के अंतर्गत परिभाषित मानदंडित दिव्यांगता वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसे लेखन में कठिनाई हो, जिसमें लेखन की गति संबंधी कठिनाई भी शामिल है, उसकी इच्छानुसार लेखक (Scribe) की सुविधा प्रदान की जाएगी।
(ग) दृष्टिहीनता एवं चलन-संबंधी दिव्यांगता की श्रेणी के मानदंडित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को, उनकी इच्छानुसार, लेखक (Scribe) की सुविधा प्रदान की जाएगी।
(घ) मानदंडित दिव्यांगता की अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को लेखक (Scribe) की सुविधा तभी प्रदान की जा सकती है, जब वे सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रारूप–V-D के अनुसार जारी ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें, जिसमें यह प्रमाणित हो कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक कठिनाई है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए लेखक की सुविधा आवश्यक है।
(ङ) लेखक (Scribe) एवं/अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(r) के अंतर्गत परिभाषित मानदंडित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को छोड़कर, उक्त अधिनियम की धारा 2(s) के अंतर्गत परिभाषित निर्दिष्ट दिव्यांगताओं वाले ऐसे व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी, जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम है तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है। ऐसे अभ्यर्थियों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रारूप–V-E के अनुसार जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित हो कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में कठिनाई है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए लेखक (Scribe) की सुविधा आवश्यक है।
(च) दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को छोड़कर, ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों (PwBD) को, जिन्हें लेखक (Scribe) की आवश्यकता है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में सहायता हेतु अपना लेखक स्वयं लाना होगा। दृष्टिहीन दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामले में, ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय इस संबंध में अनुरोध किए जाने तथा उक्त दिव्यांगता से संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर, प.ऊ.शि.सं. द्वारा लेखक की सुविधा प्रदान की जा सकती है। अपने स्वयं के लेखक की सुविधा प्राप्त करने के इच्छुक दिव्यांग अभ्यर्थियों (PwBD) को प्रारूप–V-F के अनुसार लेखक का विवरण अपलोड करना होगा।
(छ) लेखक की शैक्षणिक योग्यता, उस पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए, जिसके लिए अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा है। अभ्यर्थी को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के समय लेखक का वैध पहचान-पत्र (जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। लेखक के पहचान-पत्र की एक छायाप्रति, जिस पर अभ्यर्थी तथा लेखक, दोनों के हस्ताक्षर हों, प्रारूप–V-F के साथ CBT के समय जमा करनी होगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि लेखक की योग्यता घोषित योग्यता के अनुरूप नहीं है अथवा लेखक की योग्यता अभ्यर्थी की योग्यता के समान या उससे अधिक है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा पद पर नियुक्ति के उसके अधिकार और उससे संबंधित दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
(ज) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा लाया गया लेखक (Scribe) स्वयं इस कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी इस CBT में किसी अन्य दिव्यांग अभ्यर्थी (PwBD) के लेखक के रूप में सहायता करते हुए पाया जाता है, तो दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
(झ) पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों (PwBD) के लेखक के अतिरिक्त किसी अन्य सहायक को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
(ञ) ऐसे दृष्टिबाधित (VI) अभ्यर्थी, जो आवर्धक लेंस की सहायता से अथवा उसके बिना कंप्यूटर पर प्रश्न पढ़ने में सक्षम हैं, लेखक की सुविधा के पात्र नहीं होंगे। हालाँकि, उन्हें CBT में आवर्धक लेंस का उपयोग करने की अनुमति होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को अपना आवर्धक लेंस स्वयं परीक्षा कक्ष में लाना होगा।
(ट) दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कि उन्हें परीक्षा में लिखने हेतु शारीरिक कठिनाई है, एक घंटे की परीक्षा अवधि के लिए 20 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा। एक घंटे से कम अवधि की परीक्षा के लिए प्रतिपूरक समय आनुपातिक आधार पर दिया जाएगा। यदि कोई दिव्यांग अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय की सुविधा प्राप्त नहीं करना चाहता है, तो उसे इस आशय का वचन-पत्र केंद्र अधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। तथापि, कौशल परीक्षा के दौरान कोई अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा।
(ठ) उपर्युक्त छूटों का लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अपने साथ लाना होगा तथा परीक्षा केंद्र पर प्रस्तुत करना होगा। यदि अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व केंद्र अधीक्षक के समक्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उसे लेखक (Scribe) एवं/अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।
(ड) लेखक की सुविधा प्राप्त करने के पात्र ऐसे अभ्यर्थियों को भी उपर्युक्त प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा, जो लेखक की सुविधा का लाभ नहीं लेते हैं।
(ढ) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 18-25/2024-Policy दिनांक 17.12.2025 के अनुसार, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों (PwBD) के लिए निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

(i) अस्थायी दिव्यांगता की श्रेणी के अंतर्गत "सुधार होने की संभावना" वाली दिव्यांगता की स्थितियों के लिए आरक्षण की पात्रता नहीं होगी।

(ii) "प्रगतिशील, अप्रगतिशील अथवा जिनमें सुधार होने की संभावना नहीं है" वाली दिव्यांगता की स्थितियों को आरक्षण के लिए पात्र माना जाएगा।

6. आवेदन कैसे करे:

(क) सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी निर्धारित अवधि के भीतर प.ऊ.शि.सं. के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (https://aees.onlineregistrationforms.com) के माध्यम से पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का कोई अन्य माध्यम/तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन-पत्र के संबंधित स्थान पर शुल्क से छूट की श्रेणी दर्ज करने पर आवेदन शुल्क से छूट की सुविधा स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी।

(ख) अभ्यर्थी जिस पद के लिए आवेदन करना चाहता है, उसके लिए केवल एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करे। अधिसूचना में उल्लिखित सभी पदों के लिए ड्रॉप-डाउन सूची उपलब्ध होगी, जिसमें से अभ्यर्थी को उन पदों का चयन करना होगा, जिनके लिए वह आवेदन करना चाहता है। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है, तो उसे आवेदन किए गए प्रत्येक पद के लिए निर्धारित शुल्क अलग-अलग जमा करना होगा। **तथापि, PGT के अंतर्गत कोई अभ्यर्थी एक से अधिक विषयों के लिए निर्धारित योग्यताएँ पूरी करने के बावजूद केवल एक ही विषय/पद के लिए आवेदन कर सकेगा।** इसी प्रकार, TGT के अंतर्गत भी कोई अभ्यर्थी एक से अधिक विषयों के लिए निर्धारित योग्यताएँ पूरी करने के बावजूद केवल एक ही विषय/पद के लिए आवेदन कर सकेगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय पूरी सावधानी बरतें।

(ग) यदि कोई अभ्यर्थी विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र प्रस्तुत करता है, तो उसे एक ही शहर में अलग-अलग परीक्षा केंद्र आवंटित किए जा सकते हैं। इसके लिए प.ऊ.शि.सं. उत्तरदायी नहीं होगा तथा किसी भी कारण से एक ही परीक्षा केंद्र आवंटित करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(घ) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी पद के लिए एक से अधिक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जाने का मामला बाद के किसी चरण में सामने आता है, तो ऐसे आवेदन-पत्र निरस्त किए जा सकते हैं तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

(ङ) अभ्यर्थियों के पास एक वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी परिस्थिति में अपनी ई-मेल आईडी/लॉग-इन संबंधी विवरण किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और न ही किसी अन्य व्यक्ति की ई-मेल आईडी/लॉग-इन संबंधी विवरण का उपयोग करें। CBT के लिए प्रवेश-पत्र तथा कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलावा-पत्र केवल पात्र अभ्यर्थियों द्वारा अपने अभ्यर्थी लॉग-इन के माध्यम से डाउनलोड किए जा सकेंगे। प्रवेश-पत्र/बुलावा-पत्र ई-मेल/डाक द्वारा नहीं भेजे जाएँगे।

(च) यदि किसी अभ्यर्थी के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपनी नई ई-मेल आईडी बनानी चाहिए।

(छ) अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, माता-पिता के नाम आदि का वर्तनी-लेखन कक्षा 10 के प्रमाण-पत्र/अंकतालिका में उल्लिखित विवरण के अनुरूप सही होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थियों को अपना नाम, पिता/माता का नाम, जन्मतिथि, जाति एवं लिंग सहित सभी विवरण सावधानीपूर्वक सही-सही भरने की सलाह दी जाती है। परीक्षा के पश्चात् अथवा साक्षात्कार/कौशल परीक्षा के समय विवरणों में परिवर्तन, विशेषकर श्रेणी/उप-श्रेणी में परिवर्तन, के किसी भी अनुरोध पर प.ऊ.शि.सं. द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(ज) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना पर्याप्त समय रहते ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरें। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी की ओर से इंटरनेट/कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी तकनीकी बाधा के लिए प.ऊ.शि.सं. उत्तरदायी नहीं होगा।

(झ) आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट न तो प.ऊ.शि.सं. को भेजा जाना चाहिए और न ही किसी अन्य पते पर। आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट साक्षात्कार/कौशल परीक्षा के समय दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, जाति वैधता, गैर-क्रीमी लेयर, शारीरिक दिव्यांगता, EWS आदि, जैसा लागू हो, के समर्थन में प्रमाण-पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(ञ) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के सभी चरण पूर्ण करने तथा भविष्य में संदर्भ हेतु पुष्टिकरण पृष्ठ (Confirmation Page) का प्रिंटआउट लेने की सलाह दी जाती है। यदि अभ्यर्थी पुष्टिकरण पृष्ठ जनरेट नहीं करता है, तो उसका आवेदन-पत्र अपूर्ण माना जाएगा।

(ट) किसी भी प्रकार से (किसी भी कारणवश) अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा तथा इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ठ) अधिक जानकारी के लिए कृपया प.ऊ.शि.सं. के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (https://aees.onlineregistrationforms.com) का अवलोकन करें।

7. ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़

ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड की जानी चाहिए। दस्तावेज़ों की स्कैनिंग उचित स्कैनर का उपयोग करके की जानी चाहिए, मोबाइल फोन के कैमरे अथवा किसी अन्य

ऐप का उपयोग करके नहीं; अन्यथा आवेदन-पत्र निरस्त किया जा सकता है। दस्तावेज़ों की स्कैनिंग एवं अपलोड करने संबंधी दिशा-निर्देश तथा दस्तावेज़ों के आकार आदि का विवरण प.ऊ.शि.सं. के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध है।

7.1 प्रधानाचार्य के पद के हेतु

I) हाल ही का रंगीन फोटोग्राफ (.jpg/.jpeg/.png प्रारूप में)। अस्पष्ट फोटोग्राफ (बहुत छोटा फोटोग्राफ/पार्श्व की ओर मुख किए हुए फोटोग्राफ/चश्मा पहने हुए फोटोग्राफ/टोपी पहने हुए फोटोग्राफ/फोटोग्राफ संलग्न न होना/निर्धारित आकार के अनुरूप न होना आदि) वाले आवेदन-पत्र निरस्त कर दिए जाएँगे।

II) जहाँ लागू हो, पैरा 4 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण।

III) जहाँ लागू हो, पैरा 4.8 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC)।

IV) जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में कक्षा 10 की अंकतालिका/प्रवेश-पत्र/उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।

V) नाम में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में राजपत्र अधिसूचना, यदि लागू हो।

VI) जहाँ लागू हो, पैरा 5 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार मानदंडित दिव्यांगता (PwBD) के दावे के समर्थन में प्रमाण।

VII) उच्चतर माध्यमिक (+2)/इंटरमीडिएट की अंकतालिका।

VIII) स्नातक पाठ्यक्रम के सभी वर्षों की सेमेस्टर-वार अथवा वर्ष-वार अंकतालिकाएँ।

IX) स्नातक की उपाधि प्रमाण-पत्र/अनंतिम उपाधि प्रमाण-पत्र।

X) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सेमेस्टर-वार अथवा वर्ष-वार अंकतालिकाएँ।

XI) यदि अंकतालिका में अंक प्रतिशत के रूप में उल्लिखित नहीं हैं, तो GPA/CGPA को प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी स्नातकोत्तर की अंक-परिवर्तन विवरणिका (Transcript)।

XII) स्नातकोत्तर की उपाधि प्रमाण-पत्र/अनंतिम उपाधि प्रमाण-पत्र।

XIII) बी.एड. की सेमेस्टर-वार/वर्ष-वार अंकतालिकाएँ।

XIV) बी.एड. का उपाधि प्रमाण-पत्र/अनंतिम उपाधि प्रमाण-पत्र।

XV) पहले से अर्जित की गई अथवा वर्तमान में प्राप्त की जा रही किसी भी अतिरिक्त योग्यता का प्रमाण-पत्र/प्रमाण।

XVI) अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रति।

XVII) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

7.2 उप-प्रधानाचार्य के पद हेतु

I) हाल ही का रंगीन फोटोग्राफ (.jpg/.jpeg प्रारूप में)। अस्पष्ट फोटोग्राफ (अत्यंत छोटा फोटोग्राफ/पार्श्व की ओर मुख किए हुए फोटोग्राफ/चश्मा पहने हुए फोटोग्राफ/टोपी पहने हुए फोटोग्राफ/फोटोग्राफ संलग्न न होना/निर्धारित आकार के अनुरूप न होना आदि) वाले आवेदन-पत्र निरस्त कर दिए जाएँगे।

II) जहाँ लागू हो, पैरा 4 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण।

III) जहाँ लागू हो, पैरा 4.8 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC)।

IV) जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में कक्षा 10 की अंकतालिका/प्रवेश-पत्र/उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।

V) नाम में परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र अधिसूचना, यदि लागू हो।

VI) जहाँ लागू हो, पैरा 5 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार मानदंडित दिव्यांगता (PwBD) के दावे के समर्थन में प्रमाण।

VII) उच्चतर माध्यमिक (+2)/इंटरमीडिएट की अंकतालिका।

VIII) स्नातक पाठ्यक्रम के सभी वर्षों की सेमेस्टर-वार अथवा वर्ष-वार अंकतालिकाएँ।

IX) स्नातक की उपाधि प्रमाण-पत्र/अनंतिम उपाधि प्रमाण-पत्र।

X) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सेमेस्टर-वार अथवा वर्ष-वार अंकतालिकाएँ।

XI) यदि अंकतालिका में अंक प्रतिशत के रूप में उल्लिखित नहीं हैं, तो GPA/CGPA को प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी स्नातकोत्तर की अंक-परिवर्तन विवरणिका (Transcript)।

XII) स्नातकोत्तर की उपाधि प्रमाण-पत्र/अनंतिम उपाधि प्रमाण-पत्र।

XIII) बी.एड. की सेमेस्टर-वार/वर्ष-वार अंकतालिकाएँ।

XIV) बी.एड. का उपाधि प्रमाण-पत्र/अनंतिम उपाधि प्रमाण-पत्र।

XV) पहले से अर्जित की गई अथवा वर्तमान में प्राप्त की जा रही किसी भी अतिरिक्त योग्यता का प्रमाण-पत्र/प्रमाण।

XVI) अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रति।
XVII) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

7.3 पीजीटी के पद हेतु (सभी पद)

I) हाल का रंगीन फोटोग्राफ (.jpg/.jpeg प्रारूप में)। अस्पष्ट फोटोग्राफ (अत्यंत छोटा फोटोग्राफ/पार्श्व की ओर मुख किए हुए फोटोग्राफ/चश्मा पहने हुए फोटोग्राफ/टोपी पहने हुए फोटोग्राफ/फोटोग्राफ संलग्न न होना/निर्धारित आकार के अनुरूप न होना आदि) वाले आवेदन-पत्र निरस्त कर दिए जाएँगे।
II) जहाँ लागू हो, पैरा 4 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण।
III) जहाँ लागू हो, पैरा 4.8 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC)।
IV) जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में कक्षा 10 की अंकतालिका/प्रवेश-पत्र/उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।
V) नाम में परिवर्तन की स्थिति में, यदि कोई हो, राजपत्र अधिसूचना।
VI) जहाँ लागू हो, पैरा 5 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार मानदंडित दिव्यांगता (PwBD) के दावे के समर्थन में प्रमाण।
VII) उच्चतर माध्यमिक (+2)/इंटरमीडिएट की अंकतालिका।
VIII) स्नातक पाठ्यक्रम के सभी वर्षों की सेमेस्टर-वार अथवा वर्ष-वार अंकतालिकाएँ।
IX) स्नातक की उपाधि प्रमाण-पत्र/अनंतिम उपाधि प्रमाण-पत्र।
X) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सेमेस्टर-वार अथवा वर्ष-वार अंकतालिकाएँ।
XI) यदि अंकतालिका में अंक प्रतिशत के रूप में उल्लिखित नहीं हैं, तो GPA/CGPA को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की ट्रांसक्रिप्ट (अंक-विवरण)।
XII) स्नातकोत्तर की उपाधि प्रमाण-पत्र/अनंतिम उपाधि प्रमाण-पत्र।
XIII) बी.एड. की सेमेस्टर-वार/वर्ष-वार अंकतालिकाएँ।
XIV) बी.एड. का उपाधि प्रमाण-पत्र/अनंतिम उपाधि प्रमाण-पत्र।
XV) पहले से अर्जित की गई अथवा वर्तमान में प्राप्त की जा रही किसी भी अतिरिक्त योग्यता का प्रमाण-पत्र/प्रमाण।
XVI) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

7.4 टीजीटी के पद हेतु (सभी पद)

I) हाल का रंगीन फोटोग्राफ (.jpg/.jpeg प्रारूप में)। अस्पष्ट फोटोग्राफ (अत्यंत छोटा फोटोग्राफ/पार्श्व की ओर मुख किए हुए फोटोग्राफ/चश्मा पहने हुए फोटोग्राफ/टोपी पहने हुए फोटोग्राफ/फोटोग्राफ संलग्न न होना/निर्धारित आकार के अनुरूप न होना आदि) वाले आवेदन-पत्र निरस्त कर दिए जाएँगे।
II) जहाँ लागू हो, पैरा 4 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण।
III) जहाँ लागू हो, पैरा 4.8 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC)।
IV) जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में कक्षा 10 की अंकतालिका/प्रवेश-पत्र/उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।
V) नाम में परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र अधिसूचना।
VI) जहाँ लागू हो, पैरा 5 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार मानदंडित दिव्यांगता (PwBD) के दावे के समर्थन में प्रमाण।
VII) उच्चतर माध्यमिक (+2)/इंटरमीडिएट की अंकतालिका।
VIII) स्नातक पाठ्यक्रम के सभी वर्षों की सेमेस्टर-वार अथवा वर्ष-वार अंकतालिकाएँ।
IX) यदि अंकतालिका में अंक प्रतिशत के रूप में उल्लिखित नहीं हैं, तो GPA/CGPA को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी स्नातक पाठ्यक्रम की ट्रांसक्रिप्ट (अंक-विवरण)।
X) स्नातक की उपाधि प्रमाण-पत्र/अनंतिम उपाधि प्रमाण-पत्र।
XI) बी.एड. अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम की सेमेस्टर-वार/वर्ष-वार अंकतालिकाएँ। यह टीजीटी (शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा) (पुरुष) तथा टीजीटी (शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा) (महिला) के लिए लागू नहीं है।
XII) बी.एड. का उपाधि प्रमाण-पत्र/अनंतिम उपाधि प्रमाण-पत्र।
XIII) केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) भाग-II की अंक विवरणिका। यह टीजीटी (कंप्यूटर विज्ञान), टीजीटी (शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा) (पुरुष), टीजीटी (शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा) (महिला) तथा टीजीटी (कला शिक्षा) के लिए लागू नहीं है।
XIV) पहले से अर्जित की गई अथवा वर्तमान में प्राप्त की जा रही किसी भी अतिरिक्त योग्यता का प्रमाण-पत्र/प्रमाण।
XV) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

7.5 पुस्तकालयाध्यक्ष के पद हेतु

I) हाल का रंगीन फोटोग्राफ (.jpg/.jpeg प्रारूप में)। अस्पष्ट फोटोग्राफ (अत्यंत छोटा फोटोग्राफ/पार्श्व की ओर मुख किए हुए फोटोग्राफ/चश्मा पहने हुए फोटोग्राफ/टोपी पहने हुए फोटोग्राफ/फोटोग्राफ संलग्न न होना/निर्धारित आकार के अनुरूप न होना आदि) वाले आवेदन-पत्र निरस्त कर दिए जाएँगे।
II) जहाँ लागू हो, पैरा 4 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण।
III) जहाँ लागू हो, पैरा 4.8 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC)।
IV) जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में कक्षा 10 की अंकतालिका/प्रवेश-पत्र/उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।
V) नाम में परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र अधिसूचना।
VI) जहाँ लागू हो, पैरा 5 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार मानदंडित दिव्यांगता (PwBD) के दावे के समर्थन में प्रमाण।
VII) उच्चतर माध्यमिक (+2)/इंटरमीडिएट की अंकतालिका।
VIII) स्नातक पाठ्यक्रम के सभी वर्षों की सेमेस्टर-वार अथवा वर्ष-वार अंकतालिकाएँ।
IX) यदि अंकतालिका में अंक प्रतिशत के रूप में उल्लिखित नहीं हैं, तो GPA/CGPA को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी स्नातकोत्तर/स्नातक/डिप्लोमा पाठ्यक्रम की ट्रांसक्रिप्ट (अंक-विवरण)।
X) स्नातक की उपाधि प्रमाण-पत्र/अनंतिम उपाधि प्रमाण-पत्र।
XI) पहले से अर्जित की गई अथवा वर्तमान में प्राप्त की जा रही किसी भी अतिरिक्त योग्यता का प्रमाण-पत्र/प्रमाण।
XII) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

7.6 प्राथमिक शिक्षक के पद हेतु

I) हाल का रंगीन फोटोग्राफ (.jpg/.jpeg प्रारूप में)। अस्पष्ट फोटोग्राफ (अत्यंत छोटा फोटोग्राफ/पार्श्व की ओर मुख किए हुए फोटोग्राफ/चश्मा पहने हुए फोटोग्राफ/टोपी पहने हुए फोटोग्राफ/फोटोग्राफ संलग्न न होना/निर्धारित आकार के अनुरूप न होना आदि) वाले आवेदन-पत्र निरस्त कर दिए जाएँगे।
II) जहाँ लागू हो, पैरा 4 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण।
III) जहाँ लागू हो, पैरा 4.8 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC)।
IV) जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में कक्षा 10 की अंकतालिका/प्रवेश-पत्र/उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।
V) नाम में परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र अधिसूचना।
VI) जहाँ लागू हो, पैरा 5 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार मानदंडित दिव्यांगता (PwBD) के दावे के समर्थन में प्रमाण।
VII) उच्चतर माध्यमिक/सीनियर सेकेंडरी/इंटरमीडिएट/+2 अथवा समकक्ष की अंकतालिका।
VIII) उच्चतर माध्यमिक/सीनियर सेकेंडरी/इंटरमीडिएट/+2 अथवा समकक्ष की उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।
IX) यदि अंकतालिका में अंक प्रतिशत के रूप में उल्लिखित नहीं हैं, तो GPA/CGPA को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु संबंधित बोर्ड/संस्थान द्वारा जारी उच्चतर माध्यमिक/सीनियर सेकेंडरी/इंटरमीडिएट/+2 अथवा समकक्ष की ट्रांसक्रिप्ट (अंक-विवरण)।
X) डी.एल.एड./बी.एल.एड. अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम के सभी वर्षों की सेमेस्टर-वार अथवा वर्ष-वार अंकतालिकाएँ।
XI) डी.एल.एड./बी.एल.एड. की उपाधि प्रमाण-पत्र/अनंतिम उपाधि प्रमाण-पत्र।
XII) केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) के पेपर-I की अंक विवरणिका।
XIII) पहले से अर्जित की गई अथवा वर्तमान में प्राप्त की जा रही किसी भी अतिरिक्त योग्यता का प्रमाण-पत्र/प्रमाण।
XIV) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

7.7 प्राथमिक शिक्षक के पद हेतु (संगीत)

I) हाल का रंगीन फोटोग्राफ (.jpg/.jpeg प्रारूप में)। अस्पष्ट फोटोग्राफ (अत्यंत छोटा फोटोग्राफ/पार्श्व की ओर मुख किए हुए फोटोग्राफ/चश्मा पहने हुए फोटोग्राफ/टोपी पहने हुए फोटोग्राफ/फोटोग्राफ संलग्न न होना/निर्धारित आकार के अनुरूप न होना आदि) वाले आवेदन-पत्र निरस्त कर दिए जाएँगे।
II) जहाँ लागू हो, पैरा 4 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण।
III) जहाँ लागू हो, पैरा 4.8 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC)।
IV) जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में कक्षा 10 की अंकतालिका/प्रवेश-पत्र/उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।
V) नाम में परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र अधिसूचना।

VI) जहाँ लागू हो, पैरा 5 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार मानदंडित दिव्यांगता (PwBD) के दावे के समर्थन में प्रमाण।
VII) उच्चतर माध्यमिक (+2)/इंटरमीडिएट की अंकतालिका।
VIII) उच्चतर माध्यमिक/सीनियर सेकेंडरी/इंटरमीडिएट/+2 अथवा समकक्ष का उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।
IX) जहाँ लागू हो, स्नातक पाठ्यक्रम के सभी वर्षों की सेमेस्टर-वार अथवा वर्ष-वार अंकतालिकाएँ।
X) स्नातक की उपाधि प्रमाण-पत्र/अनंतिम उपाधि प्रमाण-पत्र।
XI) जहाँ लागू हो, संगीत विषय में न्यूनतम दो वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सभी वर्षों की सेमेस्टर-वार अथवा वर्ष-वार अंकतालिकाएँ।
XII) पहले से अर्जित की गई अथवा वर्तमान में प्राप्त की जा रही किसी भी अतिरिक्त योग्यता का प्रमाण-पत्र/प्रमाण।
XIII) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

7.8 बालवाटिका शिक्षक के पद हेतु

I) हाल का रंगीन फोटोग्राफ (.jpg/.jpeg प्रारूप में)। अस्पष्ट फोटोग्राफ (अत्यंत छोटा फोटोग्राफ/पार्श्व की ओर मुख किए हुए फोटोग्राफ/चश्मा पहने हुए फोटोग्राफ/टोपी पहने हुए फोटोग्राफ/फोटोग्राफ संलग्न न होना/निर्धारित आकार के अनुरूप न होना आदि) वाले आवेदन-पत्र निरस्त कर दिए जाएँगे।
II) जहाँ लागू हो, पैरा 4 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण।
III) जहाँ लागू हो, पैरा 4.8 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC)।
IV) जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में कक्षा 10 की अंकतालिका/प्रवेश-पत्र/उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।
V) नाम में परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र अधिसूचना।
VI) जहाँ लागू हो, पैरा 5 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार मानदंडित दिव्यांगता (PwBD) के दावे के समर्थन में प्रमाण।
VII) उच्चतर माध्यमिक (+2)/इंटरमीडिएट की अंकतालिका।
VIII) उच्चतर माध्यमिक/सीनियर सेकेंडरी/इंटरमीडिएट/+2 अथवा समकक्ष का उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।
IX) यदि अंकतालिका में अंक प्रतिशत के रूप में उल्लिखित नहीं हैं, तो GPA/CGPA को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु संबंधित बोर्ड/संस्थान द्वारा जारी उच्चतर माध्यमिक/सीनियर सेकेंडरी/इंटरमीडिएट/+2 अथवा समकक्ष की ट्रांसक्रिप्ट (अंक-विवरण)।
X) जहाँ लागू हो, कम-से-कम दो वर्ष की अवधि वाले नर्सरी शिक्षक शिक्षा/पूर्व-विद्यालयी शिक्षा/प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम (D.E.C.Ed.) के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सभी वर्षों की सेमेस्टर-वार अथवा वर्ष-वार अंकतालिकाएँ।
XI) जहाँ लागू हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड. (नर्सरी) पाठ्यक्रम के सभी वर्षों की सेमेस्टर-वार अथवा वर्ष-वार अंकतालिकाएँ।
XII) पहले से अर्जित की गई अथवा वर्तमान में प्राप्त की जा रही किसी भी अतिरिक्त योग्यता का प्रमाण-पत्र/प्रमाण।
XIII) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

7.9 वैध फोटो पहचान-पत्र के रूप में स्वीकार्य मूल दस्तावेजों की सूची:

I. आधार कार्ड; अथवा
II. मतदाता पहचान-पत्र; अथवा
III. वाहन चालन अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस); अथवा
IV. पैन कार्ड; अथवा
V. पासपोर्ट; अथवा
VI. नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र (सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय); अथवा
VII. केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटोयुक्त पहचान-पत्र।

8. आवेदन शुल्क/प्रसंस्करण शुल्क एवं भुगतान का माध्यम

क. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित लिंक के माध्यम से ₹750/- (सात सौ पचास रुपये मात्र) आवेदन शुल्क तथा ₹250/- (दो सौ पचास रुपये मात्र) प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।

ख. महिला/अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/मानदंडित दिव्यांगता (PwBD) तथा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, प्रत्येक आवेदक को ₹250/- (दो सौ पचास रुपये मात्र) प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा।

ग. लागू वस्तु एवं सेवा कर (GST) बैंक द्वारा अतिरिक्त रूप से लिया जाएगा।

घ. भुगतान का माध्यम: ऑनलाइन भुगतान गेटवे सुविधा के माध्यम से डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग द्वारा ऑनलाइन भुगतान।

i) यदि अभ्यर्थी डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना चाहते हैं, तो आवेदन-पत्र जमा करने हेतु वेबसाइट पर लॉग-इन करने से पहले कार्ड की वैधता की जाँच कर लें तथा उसे अपने पास तैयार रखें।

ii) बैंक/NIC द्वारा भुगतान की पुष्टि किए जाने के बाद पुष्टिकरण पृष्ठ जनरेट होगा।

iii) यदि शुल्क भुगतान की स्थिति "OK" नहीं है, तो अभ्यर्थियों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है:-

यदि क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया गया है और भुगतान की स्थिति "OK" नहीं है, तो इसका अर्थ है कि लेन-देन निरस्त हो गया है। ऐसी स्थिति में, राशि एक सप्ताह के भीतर संबंधित क्रेडिट/डेबिट कार्ड में वापस कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को शुल्क का पुनः भुगतान करना होगा।

ङ. यदि नेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया गया है और भुगतान की स्थिति सफल नहीं है, तो इसका अर्थ है कि लेन-देन पूरा नहीं हुआ है। ऐसे अभ्यर्थियों को शुल्क का पुनः भुगतान करना होगा।

च. कृपया ध्यान दें कि मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय डाक आदेश (IPO) आदि जैसे किसी अन्य माध्यम से जमा किया गया शुल्क अस्वीकार कर दिया जाएगा।

छ. एक बार जमा किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

9. चयन का माध्यम:

सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में उनके प्रदर्शन तथा तत्पश्चात् कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

9.1.1. कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में सम्मिलित होने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया:

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में अभ्यर्थियों को उनके अनुक्रमांक एवं प्रवेश-पत्र के आधार पर आवंटित कंप्यूटर टर्मिनल (नोड) के सामने बैठना होगा। लॉगिन करने के पश्चात् अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु विस्तृत निर्देश प्राप्त होंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय पर अभ्यर्थी आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे तथा कंप्यूटर माउस का उपयोग करके कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्न देख सकेंगे। अभ्यर्थियों को उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करके कंप्यूटर पर प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को पहले से दर्ज किए गए उत्तरों को किसी भी समय बदलने/संशोधित करने/संपादित करने का विकल्प उपलब्ध होगा। CBT में सम्मिलित होने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया तथा एक नमूना/मॉक टेस्ट प.ऊ.शि.सं. के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (https://aees.onlineregistrationforms.com) पर उपलब्ध कराए जाएँगे।

9.1.2. परीक्षा का माध्यम कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) होगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होंगे।

9.1.3. कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) की योजना निम्नानुसार होगी:

I) <u>प्रधानाचार्य के पद हेतु:</u>

क्र. सं.	लिखित परीक्षा के परीक्षा घटक/पाठ्यक्रम	प्रश्नों की संख्याँ	कुल अंक	लिखित परीक्षा की अवधि
1	सामान्य अंग्रेजी	5	5	2 घंटे 30 मिनट गलत उत्तरों के लिए अंक नहीं काटे जाएँगे।
2	सामान्य हिंदी	5	5	
3	सामान्य तर्कशक्ति	10	10	
4	सामान्य ज्ञान	7	7	
5	कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी	8	8	
6	संख्यात्मक अभियोग्यता	10	10	
7	अधिगमकर्ता की समझ	10	10	
8	शिक्षण-अधिगम की समझ	10	10	
9	शिक्षण-अधिगम की योजना एवं संगठन	10	10	
10	अनुकूल अधिगम वातावरण का निर्माण	10	10	
11	विद्यालय संगठन एवं नेतृत्व	10	10	

12	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य	10	10	
13	प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व	20	20	
14	प्रशासन एवं वित्त	25	25	
	कुल	**150**	**150**	

II) <u>उप-प्रधानाचार्य के पद हेतु:</u>

क्र. सं.	**लिखित परीक्षा के परीक्षा घटक/पाठ्यक्रम**	**प्रश्नों की संख्याँ**	**कुल अंक**	**लिखित परीक्षा की अवधि**
1	सामान्य अंग्रेजी	5	5	2 घंटे 30 मिनट गलत उत्तरों के लिए अंक नहीं काटे जाएँगे।
2	सामान्य हिंदी	5	5	
3	सामान्य तर्कशक्ति	10	10	
4	सामान्य ज्ञान	7	7	
5	कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी	8	8	
6	संख्यात्मक अभियोग्यता	10	10	
7	अधिगमकर्ता की समझ	10	10	
8	शिक्षण-अधिगम की समझ	10	10	
9	शिक्षण-अधिगम की योजना एवं संगठन	15	15	
10	अनुकूल अधिगम वातावरण का निर्माण	15	15	
11	विद्यालय संगठन एवं नेतृत्व	15	15	
12	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य	10	10	
13	प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व	15	15	
14	प्रशासन एवं वित्त	15	15	
	कुल	**150**	**150**	

III) <u>पीजीटी/टीजीटी/पुस्तकालयाध्यक्ष/पीआरटी/पीआरटी (संगीत)/बालवाटिका शिक्षकों के पद हेतु:</u>

क्र. सं.	**लिखित परीक्षा के परीक्षा घटक/पाठ्यक्रम**	**प्रश्नों की संख्याँ**	**कुल अंक**	**लिखित परीक्षा की अवधि**
1	सामान्य अंग्रेजी	5	5	2 घंटे गलत उत्तरों के लिए अंक नहीं काटे जाएँगे।
2	सामान्य हिंदी	5	5	
3	सामान्य तर्कशक्ति	5	5	
4	सामान्य ज्ञान	5	5	
5	कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी	5	5	
6	संख्यात्मक अभियोग्यता	5	5	
7	शिक्षण पद्धति	15	15	
8	संबंधित विषय	75	75	
	कुल	**120**	**120**	

अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि CBT में उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित सभी विषयों से पूछे जाने वाले प्रश्नों का अनुपात समान नहीं भी हो सकता है।

9.1.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में किसी भी कारण से किए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

9.1.5 – पाठ्यक्रम: सभी पदों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम प.ऊ.शि.सं. के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (https://aees.onlineregistrationforms.com) पर उपलब्ध है।

9.2 साक्षात्कार/कौशल परीक्षा:

9.2.1 कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना:

प्रत्येक पद के अंतर्गत सभी श्रेणियों के लिए CBT के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी:

(क) अनारक्षित (UR)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के रिक्त पदों के लिए—CBT में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले UR/EWS अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु लघुसूचीबद्ध किए जाने के पात्र होंगे।

(ख) अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/दिव्यांगजन (PwBD) के रिक्त पदों के लिए—CBT में 54 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले SC/ST/OBC/PwBD अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु लघुसूचीबद्ध किए जाने के पात्र होंगे।

(ग) यदि उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार CBT में किसी पद के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए अपेक्षित संख्या में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो प.ऊ.शि.सं. CBT में अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम अंकों के प्रतिशत में कमी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तथापि, यह प्रतिशत UR/EWS रिक्त पदों के लिए 55 प्रतिशत से कम तथा SC/ST/OBC/PwBD रिक्त पदों के लिए 49 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

9.2.2 कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या:

प्रत्येक पद के लिए CBT में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची में से मेरिट क्रम के अनुसार निम्नलिखित संख्या में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।

क) अनारक्षित पद हेतु

प्रत्येक पद के अंतर्गत रिक्त पदों की संख्या	**कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या**
1	5
2	8
3	10
4	12
5 से अधिक या 10 तक	रिक्त पदों की संख्या का दोगुना (अगले उच्चतर पूर्णांक तक पूर्णांकित) + 4
10 से अधिक	रिक्त पदों की संख्या का डेढ़ गुना (अगले उच्चतर पूर्णांक तक पूर्णांकित) + 3, किंतु 24 से कम नहीं।

ख) आरक्षित पद हेतु

रिक्तियों की संख्या	**कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या**
1 या अधिक	रिक्त पदों की संख्या का पाँच गुना

केवल CBT में अर्हता प्राप्त करने से अभ्यर्थी कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु पात्र नहीं होंगे।

9.2.3 प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य के पद हेतु साक्षात्कार: CBT में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची में से मेरिट क्रम के अनुसार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।

9.2.4 पीजीटी, टीजीटी, पुस्तकालयाध्यक्ष, पीआरटी, पीआरटी (संगीत) एवं बालवाटिका शिक्षक के पदों हेतु कौशल परीक्षा: कौशल परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी तथा इसका आयोजन "गो/नो गो" (Go/No Go) आधार पर किया जाएगा। शिक्षण कौशल की यह परीक्षा चॉक एवं ब्लैकबोर्ड आधारित होगी। अभ्यर्थियों को विषय-विशिष्ट विषयवस्तु प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों को समिति के समक्ष अपनी शिक्षण क्षमता का प्रदर्शन करना होगा।

9.3 चयन सूची में अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करना:

9.3.1 प्राधानाचार्य एवं उप-प्रधानाचार्य के पदों हेतु अभ्यर्थियों का चयन सूची में पैनल तैयार करना:

(i) अनारक्षित (UR) श्रेणी के अंतर्गत विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी CBT एवं साक्षात्कार में अंकों के संबंध में किसी भी प्रकार की छूट के पात्र नहीं होंगे। उन्हें सभी पहलुओं में अनारक्षित (UR) श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

(ii) अंतिम चयन CBT एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को CBT एवं साक्षात्कार, दोनों में अलग-अलग, अनारक्षित पदों के लिए 60 प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी के पदों के लिए 54 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। CBT एवं साक्षात्कार के लिए अंकों का भारांक 50:50 होगा।
(iii) CBT एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों (CBT + साक्षात्कार) के समान होने की स्थिति में, अभ्यर्थियों को चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु बराबरी का निर्णय निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा:

टाई-ब्रेकर 1: आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु उच्चतर स्थान दिया जाएगा।
टाई-ब्रेकर 2: CBT में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु उच्चतर स्थान दिया जाएगा।

9.3.2 PGT, TGT, पुस्तकालयाध्यक्ष, PRT, PRT (संगीत) एवं बालवाटिका शिक्षक के पदों हेतु अभ्यर्थियों का चयन सूची में पैनल तैयार करना:

(i) अनारक्षित (UR) श्रेणी के अंतर्गत विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी CBT में अंकों के संबंध में किसी भी प्रकार की छूट के पात्र नहीं होंगे। उन्हें सभी पहलुओं में अनारक्षित (UR) श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी।
(ii) कौशल परीक्षा में 'GO' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को ही CBT में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट क्रम में चयन सूची में सम्मिलित किया जाएगा। कौशल परीक्षा में 'No Go' घोषित किए गए अभ्यर्थियों के CBT में प्राप्त मेरिट के बावजूद, उन्हें चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
(iii) CBT में समान अंक प्राप्त करने वाले तथा कौशल परीक्षा में 'Go' घोषित किए गए अभ्यर्थियों के बीच बराबरी की स्थिति में, चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु बराबरी का निर्णय निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा:

टाई-ब्रेकर 1: आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान दिया जाएगा।
टाई-ब्रेकर 2: संबंधित पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान दिया जाएगा।

9.3.3 चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, मेरिट क्रम के अनुसार, विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या के बराबर होगी।
9.3.4 शेष पैनलबद्ध अभ्यर्थियों में से मेरिट क्रम के अनुसार, विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी।
9.3.5 चयन सूची के अभ्यर्थियों को रिक्तियाँ उपलब्ध होने पर मेरिट क्रम के अनुसार संबंधित पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा।
9.3.6 यदि चयन सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं अथवा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो प्रतीक्षा सूची का उपयोग किया जाएगा।
9.3.7 प्रतीक्षा सूची पैनल की वैधता पैनल तैयार किए जाने की तिथि से एक वर्ष तक होगी।

9.4 चिकित्सा परीक्षण

नियुक्ति का प्रस्ताव प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। अभ्यर्थी का अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

9.5 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) हेतु मॉक टेस्ट

CBT में सम्मिलित होने हेतु अनंतिम रूप से पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने के पश्चात् उनके अभ्यर्थी लॉगिन में मॉक CBT अभ्यास लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली एवं स्क्रीन के प्रारूप से परिचित हो सकें तथा कंप्यूटर आधारित परीक्षा की पद्धति, अर्थात् बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQ) के उत्तर देने की प्रक्रिया का अभ्यास कर सकें। सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे वास्तविक परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की जिज्ञासा को न्यूनतम करने के लिए इसका अभ्यास करें। तथापि, मॉक टेस्ट में प्रयुक्त नमूना प्रश्न केवल संदर्भ हेतु हैं। इन प्रश्नों का प्रारूप एवं स्तर वास्तविक CBT के समान होना आवश्यक नहीं है।

10. सभी पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) तथा कौशल परीक्षा/साक्षात्कार का केंद्र

10.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) संभावित रूप से निम्नलिखित शहरों में आयोजित की जाएगी।

क्र.सं.	परीक्षा केंद्र (शहर)	राज्य
1	अमरावती	आंध्र प्रदेश
2	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश
3	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश
4	गुवाहाटी	असम
5	पटना	बिहार
6	रायपुर	छत्तीसगढ़
7	पणजी	गोवा
8	वडोदरा (बड़ौदा)	गुजरात
9	अहमदाबाद	गुजरात
10	चंडीगढ़	हरियाणा
11	शिमला	हिमाचल प्रदेश
12	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
13	रांची	झारखंड
14	बेंगलुरु	कर्नाटक
15	एर्नाकुलम	केरल
16	तिरुवनंतपुरम	केरल
17	लेह	लद्दाख
18	भोपाल	मध्य प्रदेश
19	इंदौर	मध्य प्रदेश
20	मुंबई एवं मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में अंधेरी (पश्चिम) और घाटकोपर (मुख्य) तक*	महाराष्ट्र
21	मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में अंधेरी (पश्चिम) से आगे का क्षेत्र तथा नवी मुंबई*	महाराष्ट्र
22	नागपुर	महाराष्ट्र
23	पुणे	महाराष्ट्र
24	शिलांग	मेघालय
25	आइजोल	मिजोरम
26	कोहिमा	नागालैंड
27	दिल्ली (मुख्य क्षेत्र)#	नई दिल्ली
28	दिल्ली एनसीआरग-गुरूग्राम (गुड़गाँव)#	नई दिल्ली
29	दिल्ली एनसीआर – नोएडा#	नई दिल्ली
30	भुवनेश्वर	ओडिशा
31	राउरकेला	ओडिशा
32	पुदुच्चेरी	पुदुच्चेरी
33	अमृतसर	पंजाब
34	कोटा	राजस्थान
35	जयपुर	राजस्थान
36	गंगटोक	सिक्किम
37	चेन्नई	तमिल नाडु
38	तिरुचिरापल्ली	तमिल नाडु
39	हैदराबाद	तेलंगाना
40	अगरतला	त्रिपुरा
41	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
42	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
43	देहरादून	उत्तराखंड
44	कोलकाता	पश्चिम बंगाल

टिप्पणः *— मुंबई एवं मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में अंधेरी (पश्चिम) और घाटकोपर (मुख्य) तक तथा अंधेरी (पश्चिम) से आगे के मुंबई उपनगरीय क्षेत्र एवं नवी मुंबई में से परीक्षा शहर के विकल्प के रूप में केवल एक का चयन किया जाना चाहिए।

— दिल्ली (मुख्य क्षेत्र), एनसीआर– गुरुग्राम तथा दिल्ली एनसीआर– नोएडा में से परीक्षा शहर के विकल्प के रूप में केवल एक का चयन किया जाना चाहिए।

प.ऊ.शि.सं. अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) हेतु उनके द्वारा चुने गए शहरों में समायोजित करने का यथासंभव प्रयास करेगा। तथापि, प.ऊ.शि.सं. किसी भी शहर में CBT आयोजित करने के विकल्प को रद्द करने तथा उस शहर का चयन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को किसी अन्य शहर में परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प.ऊ.शि.सं. किसी भी शहर का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों को CBT में सम्मिलित होने के लिए किसी अन्य शहर में भेजने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

10.2 कौशल परीक्षा/साक्षात्कार केवल प.ऊ.शि.सं., अणुशक्तिनगर, मुंबई में आयोजित किया जाएगा।

10.3 विभिन्न पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) तथा कौशल परीक्षा/साक्षात्कार से संबंधित समय-सारणी एवं अन्य विवरण केवल प.ऊ.शि.सं. के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (https://aees.onlineregistrationforms.com) पर ही अधिसूचित किए जाएँगे।

11. महत्वपूर्ण तिथियाँ:

क्र.सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ तथा आवेदन शुल्क का भुगतान।	2 नवम्बर, 2026 (10.00 अपराह्न)
2	ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि।	22 नवम्बर, 2026 (11.50 पूर्वाह्न)
3	आवेदन शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि।	22 नवम्बर, 2026 (11.50 पूर्वाह्न)
4	प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की प्रारंभ तिथि।	इसकी सूचना प.ऊ.शि.सं. के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (https://aees.onlineregistrationforms.com) के माध्यम से दी जाएगी।
5	कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) की तिथि।	इसकी सूचना प.ऊ.शि.सं. के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (https://aees.onlineregistrationforms.com) के माध्यम से दी जाएगी।
6	उत्तर कुंजी का प्रदर्शन।	कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि से 3 दिनों के भीतर।
7	उत्तर कुंजी में विसंगतियों की ऑनलाइन माध्यम से सूचना देने की समय-सीमा।	उत्तर कुंजी के प्रदर्शन से 72 घंटे के भीतर।
8	अंतिम उत्तर कुंजी का प्रदर्शन।	कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) की तिथि से 15 दिनों के भीतर।

12. उत्तर कुंजी में विसंगतियों की सूचना देना:

12.1 सभी पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के आयोजन के पश्चात् उत्तर कुंजियाँ प.ऊ.शि.सं. के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (https://aees.onlineregistrationforms.com) पर उपलब्ध कराई जाएँगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी लॉगिन आईडी में उत्तर कुंजी देखने के लिए नियमित अंतराल पर प.ऊ.शि.सं. के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर जाएँ। अभ्यर्थी उत्तर कुंजियों का अवलोकन कर सकते हैं तथा यदि कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर केवल ऑनलाइन माध्यम से प्रति प्रश्न ₹250/- (रुपये दो सौ पचास मात्र) की चुनौती शुल्क राशि प्रसंस्करण शुल्क के रूप में जमा करके अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम (जैसे ई-मेल/पत्र/अभ्यावेदन) से प्रस्तुत की गई विसंगतियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

12.2 निर्धारित समय-सीमा के भीतर उत्तर कुंजियों के संबंध में प्राप्त विसंगतियों की जाँच, उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप देने से पूर्व की जाएगी। इस संबंध में प.ऊ.शि.सं. का निर्णय अंतिम होगा। इसके पश्चात् उत्तर कुंजियों के संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

12.3 यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई विसंगति प्रस्तुत की जाती है और वह सही पाई जाती है, तो ऐसी आपत्ति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को चुनौती शुल्क वापस कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनकी आपत्तियों की स्थिति के संबंध में व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया जाएगा। विषय-विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई अंतिम उत्तर कुंजियों के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थी संशोधित उत्तर कुंजी अपनी लॉगिन आईडी में देख सकते हैं।

12.4 यदि कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में कोई प्रश्न गलत पाया जाता है, अथवा किसी प्रश्न के सभी विकल्प गलत पाए जाते हैं, अथवा एक से अधिक उत्तर विकल्प सही पाए जाते हैं (बशर्ते अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऐसी आपत्ति प्रस्तुत की गई हो और प.ऊ.शि.सं. द्वारा उसकी पुष्टि की गई हो), तो उस प्रश्न के लिए CBT में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को 1 (एक) अंक प्रदान किया जाएगा, भले ही अभ्यर्थी ने उस प्रश्न का उत्तर दिया हो या नहीं।

12.5 संशोधित/अंतिम उत्तर कुंजियाँ, प.ऊ.शि.सं. के ऑनलाइन भर्ती पोर्टल पर प्रकाशित किए जाने की तिथि से अधिकतम 10 दिनों की अवधि तक ही अभ्यर्थियों की लॉगिन आईडी के माध्यम से देखने हेतु उपलब्ध रहेंगी।

परिणाम घोषित होने के पश्चात् उत्तर कुंजी (कुंजियों) के संबंध में किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. <u>कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़</u>:-

अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ जमा करनी होंगी तथा सत्यापन हेतु इन दस्तावेजों के मूल प्रस्तुत करने होंगे।

क्र.सं.	पद	आवश्यकता I	आवश्यकता II
1	प्रधानाचार्य	पैरा 7.1 में उल्लिखित सभी दस्तावेज़।	फोटोग्राफ चिपकाकर तथा सभी पृष्ठों पर विधिवत हस्ताक्षर करके आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट।
2	उप-प्रधानाचार्य	पैरा 7.2 में उल्लिखित सभी दस्तावेज़।	
3	पीजीटी (सभी पद)	पैरा 7.3 में उल्लिखित सभी दस्तावेज़।	
4	टीजीटी (सभी पद)	पैरा 7.4 में उल्लिखित सभी दस्तावेज़।	
5	पुस्कालयाध्यक्ष	पैरा 7.5 में उल्लिखित सभी दस्तावेज़।	
6	प्राथमिक शिक्षक	पैरा 7.6 में उल्लिखित सभी दस्तावेज़।	
7	प्राथमिक शिक्षक (संगीत)	पैरा 7.7 में उल्लिखित सभी दस्तावेज़।	
8	बालवाटिका शिक्षक	पैरा 7.8 में उल्लिखित सभी दस्तावेज़।	

14. अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश

(क) इस भर्ती अधिसूचना में सम्मिलित पदों की रिक्तियों की संख्या अनंतिम है तथा इसमें वृद्धि या कमी की जा सकती है। प.ऊ.शि.सं. को बिना कोई कारण बताए तथा बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी या सभी पदों को वापस लेने/न भरने अथवा संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। प.ऊ.शि.सं. को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व भर्ती अधिसूचना को निरस्त करने/उस पर प्रतिबंध लगाने/उसमें संशोधन करने/परिवर्तन करने अथवा कोई सुधार/अतिरिक्त जानकारी सम्मिलित करने का अधिकार भी सुरक्षित है। ऐसे परिवर्तनों अथवा किसी अन्य अद्यतन जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को प.ऊ.शि.सं. के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (https://aees.onlineregistrationforms.com) पर जाने की सलाह दी जाती है।

(ख) विज्ञापन में किए गए किसी भी संशोधन/परिवर्तन अथवा जारी किए गए निर्देशों को प.ऊ.शि.सं. के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (https://aees.onlineregistrationforms.com) पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) अभ्यर्थियों की शैक्षणिक एवं शिक्षण संबंधी योग्यताओं के लिए पात्रता इस भर्ती अधिसूचना में निर्धारित मानदंडों के पूर्णतः अनुरूप होनी चाहिए। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार आवेदन करने के लिए अपात्र होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। यह ध्यान दिया जाए कि किसी अभ्यर्थी को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)/साक्षात्कार/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दिया जाना यह नहीं दर्शाता कि उसकी पात्रता का सत्यापन कर लिया गया है। पात्रता का अंतिम सत्यापन संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(घ) अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर उन्हें चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अतः प.ऊ.शि.सं. द्वारा अधिसूचित योग्यता संबंधी मानदंडों के संदर्भ में अपनी पात्रता सिद्ध करने की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

(ङ) प.ऊ.शि.सं. चयन प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व अथवा उसके पश्चात् किसी भी समय अभ्यर्थी की पात्रता का सत्यापन कर सकता है। यदि किसी भी चरण में (कार्यभार ग्रहण करने की तिथि सहित तथा उसके पश्चात् भी) यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्र नहीं है, तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।
(च) प.ऊ.शि.सं. द्वारा जब भी अपेक्षित हो, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी के समर्थन में अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यताओं, अनुभव, OBC-NCL/SC/ST/EWS/PwBD श्रेणी तथा अन्य विवरणों से संबंधित मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
(छ) यदि साक्षात्कार/कौशल परीक्षा से पूर्व पात्रता के सत्यापन के दौरान कोई अभ्यर्थी 'अपात्र' पाया जाता है, तो उसे साक्षात्कार/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(ज) इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी पत्राचार/घोषणाएँ अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र संबंधी लॉग-इन के माध्यम से और/अथवा प.ऊ.शि.सं. के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (https://aees.onlineregistrationforms.com) पर सूचनाओं के माध्यम से की जाएँगी। इस भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प.ऊ.शि.सं. के ऑनलाइन भर्ती पोर्टल पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से उक्त पोर्टल पर जाएँ।
(झ) कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के लिए प्रवेश-पत्र प.ऊ.शि.सं. के ऑनलाइन भर्ती पोर्टल से अपनी लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करके डाउनलोड करना तथा उसका प्रिंट लेना अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी। अभ्यर्थी द्वारा गलत/अमान्य ई-मेल आईडी दिए जाने अथवा किसी अन्य कारण से भेजे गए ई-मेल के प्राप्त न होने पर प.ऊ.शि.सं. उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दर्ज ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को सक्रिय एवं वैध रखना चाहिए।
(ञ) आवश्यकता उत्पन्न होने पर प.ऊ.शि.सं. अपने विवेकानुसार, जब भी आवश्यक हो, पुनः परीक्षा आयोजित कर सकता है।
(ट) परीक्षा कक्ष के अंदर पुस्तकें, मोबाइल फोन, टैब, कैलकुलेटर अथवा कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) तथा कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के लिए आते समय प्रतिबंधित वस्तुएँ अपने साथ न लाएँ, क्योंकि परीक्षा केंद्रों पर इन वस्तुओं को सुरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
(ठ) पात्रता हेतु निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त पहले से अर्जित की गई अथवा वर्तमान में प्राप्त की जा रही अन्य अतिरिक्त योग्यताओं का विवरण भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में देना होगा। ऐसा न करने पर, चयनित होने की स्थिति में उक्त अतिरिक्त योग्यताओं को अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों में दर्ज नहीं किया जाएगा।
(ड) अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के अंतर्गत केवल उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा, जिनकी जाति केंद्र सरकार की SC/ST/OBC श्रेणी संबंधी सूची में शामिल है। OBC श्रेणी के अभ्यर्थी गैर-क्रीमी लेयर (NCL) से संबंधित होने चाहिए।
(ढ) प्राथमिक शिक्षक (PRT) तथा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) के पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु, कंप्यूटर विज्ञान, कला शिक्षा तथा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा (पुरुष एवं महिला) को छोड़कर, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पूर्व जारी वैध केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
(ण) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) के पेपर–I एवं पेपर–II में उत्तीर्ण होने के लिए अनारक्षित पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं मानदंडित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (PwBD) के लिए आरक्षित पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
(त) यात्रा भत्ता: कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर, पात्र बाहरी स्टेशन के अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों को, सरकार के नियमों के अनुसार, भुगतान किए गए किराए का प्रमाण प्रस्तुत करने पर, निकटतम मार्ग से द्वितीय श्रेणी के रेल किराए अथवा साधारण राज्य परिवहन बस के आने-जाने के किराए का भुगतान किया जाएगा। यह सुविधा केवल कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर ही देय होगी। यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पहले से केंद्र/राज्य सरकार, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय सरकारी संस्थाओं अथवा पंचायतों में सेवारत हैं, तो वे यात्रा भत्ते के पात्र नहीं होंगे।
(द) अभ्यर्थियों को प.ऊ.शि.सं. के विद्यालयों के स्थित होने के स्थान के अनुसार भारत में कहीं भी कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र में पदस्थापन हेतु अपनी प्राथमिकताओं का क्रम देना होगा।
(ध) चयनित अभ्यर्थियों को प्रारंभ में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान, परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी की सेवाएँ बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।
(न) अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित योग्यताएँ केवल अधिसूचित/निर्धारित योग्यताओं के पूर्णतः अनुरूप होनी चाहिए। जहाँ अंकों के स्थान पर ग्रेड दिए गए हों, वहाँ अंकों के समतुल्य प्रतिशत को दर्शाने वाली अंकतालिकाएँ साक्षात्कार/कौशल परीक्षा के समय प्रस्तुत करनी होंगी।

(प) समकक्ष उपाधि/योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को उसके समर्थन में संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेज़/प्रमाण-पत्र (आदेश/पत्र संख्या एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा न करने पर उनका आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी ध्यान दें कि यदि किसी पद की किसी श्रेणी के लिए अधिसूचना में निर्धारित अनिवार्य योग्यता के अंतर्गत समकक्षता का प्रावधान उल्लिखित नहीं है, तो समकक्षता स्वीकार नहीं की जाएगी।

(फ) उचित प्रवेश-पत्र तथा वैध पहचान-पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी ध्यान दें कि CBT/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में उनका प्रवेश ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पूर्णतः अनंतिम होगा। यह प्रवेश भर्ती अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी पात्रता शर्तों के मूल दस्तावेज़ों के संदर्भ में सत्यापन के अधीन होगा। यदि भर्ती/चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी किसी भी चरण में असत्य पाई जाती है अथवा पात्रता मानदंडों के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में, यहाँ तक कि नियुक्ति के पश्चात् भी, निरस्त की जा सकती है।

(ब) रफ कार्य/सभी गणनाएँ/लेखन कार्य केवल परीक्षा कक्ष/हॉल में केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई रफ शीटों पर ही किए जाने चाहिए। परीक्षा पूर्ण होने पर अभ्यर्थियों को ये रफ शीटें परीक्षा कक्ष/हॉल में ड्यूटी पर तैनात निरीक्षक को सौंपनी होंगी।

(भ) इस भर्ती अधिसूचना के हिंदी एवं अंग्रेज़ी पाठ में किसी भी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में भर्ती अधिसूचना का अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।

(म) CBT के लिए जाँच के उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची तथा कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के लिए चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची प.ऊ.शि.सं. के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (https://aees.onlineregistrationforms.com) पर प्रदर्शित की जाएगी।

(य) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर अभ्यर्थी 18005691325 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा पंजीकरण पोर्टल पर अपने लॉगिन में उपलब्ध "Raise Query" टैब का उपयोग करके अपनी समस्या के संबंध में प्रश्न दर्ज कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए प.ऊ.शि.सं. के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर नियमित रूप से जाने की सलाह दी जाती है।

(र) अभ्यर्थियों द्वारा अंकित उत्तर, ऑनलाइन आवेदन-पत्र तथा अन्य संबंधित अभिलेख चयन सूची घोषित होने की तिथि से केवल छह माह की अवधि तक सुरक्षित रखे जाएँगे। इसके पश्चात् ये अभिलेख नष्ट कर दिए जाएँगे।

15. अनुचित साधनों का प्रयोग एवं उसके परिणाम:

(क) अनुचित साधनों की परिभाषा

अनुचित साधनों के प्रयोग में निम्नलिखित कृत्य शामिल हैं, किंतु यह सूची इन्हीं तक सीमित नहीं है:

(i) कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के दौरान, यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए, प्रतिरूपण करते हुए, परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार करते हुए (जहाँ लागू हो), परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए बाहरी दबाव डालते हुए अथवा प.ऊ.शि.सं. में चयन हेतु अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए दोषी पाया जाता है;

(ii) अपनी अभ्यर्थिता के समर्थन में किसी अन्य माध्यम से अनुचित सहायता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन चलाया जा सकता है तथा उन्हें प.ऊ.शि.सं. की किसी भी परीक्षा अथवा चयन प्रक्रिया से स्थायी रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

(iii) यदि किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने प.ऊ.शि.सं. में नियुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से आवेदन-पत्र अथवा किसी दस्तावेज़ में अपनी नागरिकता, शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी/जाति/PwBD श्रेणी तथा अनुभव के संबंध में कोई गलत सूचना/विवरण प्रस्तुत किया है और/अथवा आवेदन-पत्र में किसी महत्वपूर्ण तथ्य को गलत रूप में प्रस्तुत किया है अथवा छिपाया है, तो प.ऊ.शि.सं. में उसकी सेवा के किसी भी चरण में, अर्थात् परिवीक्षा अवधि के दौरान अथवा सेवा की पुष्टि के पश्चात्, बिना कोई कारण बताए तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

(iv) किसी भी प्रकार से अनुचित सिफारिश या प्रभाव डालने का प्रयास करना अभ्यर्थिता के लिए अयोग्यता माना जाएगा।

(v) किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा लिखवाना (प्रतिरूपण) अथवा नकल करना;

(vi) परीक्षा संबंधी नियमों अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर परीक्षा के संबंध में जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन करना;

(vii) किसी अन्य अभ्यर्थी को अनुचित गतिविधियों में संलग्न होने में सहायता करना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की सहायता देना या प्राप्त करना अथवा ऐसा करने का प्रयास करना;

(viii) परीक्षा केंद्र में परीक्षा के दौरान किसी व्यक्ति अथवा किसी अन्य अभ्यर्थी को धमकाना, भयभीत करना, संपर्क करना या संवाद करना अथवा ऐसा करने का प्रयास करना;

(ix) परीक्षा केंद्र/परीक्षा कक्ष में बलपूर्वक प्रवेश करना या बाहर निकलना अथवा परीक्षा के सुचारु एवं निष्पक्ष संचालन में बाधा उत्पन्न करना;
(x) ऐसी किसी वस्तु या सामग्री को अपने पास रखना, जो संबंधित प्रश्न-पत्र की परीक्षा के लिए प्रतिबंधित हो अथवा प्रासंगिक न हो।
(xi) परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के पश्चात् किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना अथवा उपयोग करने का प्रयास करना, जैसे मोबाइल फोन, इयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, कैलकुलेटर, डॉक्यूपेन, स्लाइड रूल, लॉग टेबल, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, कैलकुलेटर की सुविधा वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ, कोई धातु की वस्तु अथवा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट/उपकरण आदि;
(xii) आवेदन-पत्र/प्रवेश-पत्र/प्रारूप में गलत, परिवर्तित (मॉर्फ्ड) अथवा रिक्त फोटोग्राफ/हस्ताक्षर लगाना या अपलोड करना;
(xiii) प्रवेश-पत्र, स्व-घोषणा-पत्र आदि जैसे ऑनलाइन दस्तावेज़ों में हेरफेर करना अथवा उनमें जालसाजी करना;
(xiv) प.ऊ.शि.सं. द्वारा अनुचित साधन घोषित की गई कोई अन्य अनियमित गतिविधि;
(xv) यदि भविष्य में किसी भी समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने अपने आवेदन-पत्र/प्रवेश-पत्र में किसी अन्य व्यक्ति का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर अथवा प्रमाण-पत्र अपलोड किया है या उसका उपयोग किया है अथवा अपने प्रवेश-पत्र के साथ छेड़छाड़ की है, तो अभ्यर्थी के इन कृत्यों को उसके द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग माना जाएगा तथा लागू प्रावधानों के अंतर्गत उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी;
(xvi) परीक्षा केंद्र/स्थल पर परीक्षा के सुचारु संचालन में बाधा उत्पन्न करना।

(ख) परिणाम:

यदि कोई अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के दौरान/पूर्व/पश्चात् उपर्युक्त में से किसी भी गतिविधि में संलग्न पाया जाता है, तो यह माना जाएगा कि उसने अनुचित साधनों का प्रयोग किया है तथा उसे इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन की कार्रवाई एवं/अथवा संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थी(यों) का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।

16. प.ऊ.शि.सं. के निर्णय की अंतिमताः

पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, गलत जानकारी प्रदान करने, चयन प्रक्रिया, CBT तथा कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के आयोजन, CBT केंद्रों के आवंटन, मेरिट सूची तैयार करने एवं पदस्थापन केंद्र के निर्धारण तथा अनुचित साधनों के प्रयोग में संलिप्त होने के कारण अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित करने से संबंधित सभी मामलों में प.ऊ.शि.सं. का निर्णय अंतिम एवं अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

विज्ञापित पदों के लिए साक्षात्कार/व्यक्तिगत अंतःक्रिया हेतु अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया एवं मानदंड तथा पात्रता की शर्तें अंतिम एवं बाध्यकारी होंगी। तथापि, प.ऊ.शि.सं. सभी विज्ञापित पदों के लिए चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में चयन की प्रक्रिया एवं/या मानदंडों में परिवर्तन कर सकता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस भर्ती से संबंधित किसी भी विवाद के संबंध में **केवल मुंबई के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होगा**।

17. संलग्नक एवं निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रारूप:

प्रारूप-I (भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप)
प्रारूप-IA (अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रारूप (समुदाय प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त))
प्रारूप-II (भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप)
प्रारूप-III (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र)
प्रारूप-IV (आयु में छूट प्राप्त करने/भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले भूतपूर्व सैनिकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप)

प्रारूप-IV-A (भूतपूर्व सैनिक कोटे का लाभ प्राप्त करके सिविल रोजगार प्राप्त करने के संबंध में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा)
प्रारूप-V-A (दिव्यांगता प्रमाण-पत्र—प्रपत्र-V: अंग-विच्छेदन, अंगों के पूर्ण स्थायी पक्षाघात या बौनापन तथा दृष्टिहीनता के मामलों में)
प्रारूप-V-B (दिव्यांगता प्रमाण-पत्र—प्रपत्र-VI: बहु-दिव्यांगता के मामलों में)
प्रारूप-V-C (दिव्यांगता प्रमाण-पत्र—प्रपत्र-VII: प्रपत्र-V और VI में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों में)
प्रारूप-V-D (परीक्षार्थी को लिखने में होने वाली शारीरिक सीमितता के संबंध में प्रमाण-पत्र)
प्रारूप-V-E – [दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले, किंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल न होने वाले निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण-पत्र, अर्थात् 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में कठिनाई का सामना करने वाले व्यक्ति]
प्रारूप-V-F (लेखक की सहायता लेने हेतु वचन-पत्र)
